

### Remarks Against Gurudev Rabindranath Tagore

**SHRI K.R. MALKANI (Delhi):** Madam, Deputy Chairman, two months back there was a nasty attack on Mahatama Gandhi. Now, recently, an attack has been made on Rabindranath Tagore. Tagore does not need any certificate from anybody, either from Khushwant Singh or from anybody else. But, what he has said is utterly objectionable. Tagore was not just a writer. He was one of the greatest men produced by this country in modern times. When he got the Nobel Prize for literature we all felt an inch taller. And here come some Johnny's attacking him. I see a method in this madness. There is an effort by some foreign-oriented people to run down our country, to run down our people and to run down our culture. I would say that this is a case of cultural terrorism. Recently, the West Bengal Assembly passed a unanimous resolution on the subject naturally so. But, Tagore does not belong to Bengal only, he belongs to the whole country, he belongs to the whole world. I, therefore, thought that word should also go out that this august House also feels that we have complete freedom of speech. Mr. Khushwant Singh is welcome to his juvenile sexual jokes. He has made a good business out of it. He is welcome to do that and I have no quarrel with him. But he cannot attack a great man like Rabindranath Tagore. Thank you very much.

**THE DEPUTY CHAIRMAN:** On behalf of this House, I condemn this kind of irresponsible behaviour on the part of the writers. Their freedom of writing and freedom of speech stops -- freedom of your stick stops when somebody else's nose comes in -- when somebody else's sensibilities and sensitivities are affected. When the feelings of other people are hurt, they should know and stop it. We all condemn it. We are all proud of Tagore and this feeling should go not only to our country, but abroad also. I have been to many countries where I

have seen Tagore's works translated in many languages his statues installed at many places. He is respected everywhere. Let us get out of this mental colonisation once and for all.

The House is adjourned till 2.00 P.M.

The House then adjourned for lunch at three minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at four minutes past two of the clock.

**The Vice-Chairman (SHRI SATISH AGARWAL in the Chair)**

### GOVERNMENT MOTION

**Re. Draft Agriculture Policy Resolution (Contd.)**

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL):** Shri N. Giri Prasad to continue.

**SHRI N. GIRI PRASAD (Andhra Pradesh):** Mr. Vice Chairman, Sir, our agriculture is facing serious difficulties. Only for some years monsoon may be saving our problems. But poverty is very rampant in villages when compared to urban areas also because two-thirds of the population lives in villages.

The GDP from agriculture is only 30 per cent. So, out of 30 per cent of wealth, this two-thirds of population will have to live. That is why the poverty level in villages is very high when compared to the urban areas. Similarly, opportunities for health facilities and educational facilities are very weak. That is why generally the pauperisation of peasantry is taking place. Many farmers are drifting to lower levels and ultimately they are becoming agricultural workers. And most importantly, in this policy, there is no mention of agricultural workers. Without the co-operation from the agricultural workers, no agriculture will develop. That is why there should be some equity and some special care to tackle their problems. The Government has been promising Central legislation for agricultural workers all these years. I heard that in this session itself they will bring some legislation in regard to the

agricultural workers and construction workers. Whatever it may be, it is not listed before us. That is why, when we discuss agriculture, if we forget 50 per cent of the agricultural population i.e. agricultural workers, their interests, their aspirations and their problems, I think, agriculture will not prosper. There will be social tensions also. And it is in the fitness of things that the Government should not allow such tensions to take place, and there should be equitable justice for these most downtrodden sections.

Moreover, in the villages, there is indebtedness. Not only the co-operative sector and the banks, but the private money-lenders are also fleecing them. Even the best co-operative credit or Governmental credit will only cover up to 50 per cent. For the remaining 50 per cent, they have to go to the money-lenders, that too at exorbitant rates of interest. That is why the peasantry as a whole, especially the marginal and poor farmers are deeply steeped in this indebtedness, and there should be some provision to help them.

The main thing is during the last four decades, especially during the last decade, the Governmental intervention by way of investment in agriculture is coming down. In 1980-81, the investment in agriculture was up to 18 per cent, and now this gross capital formation has come down to 9 per cent. From the Governmental sector. The investment has come down from Rs. 17,96 crores to Rs. 1,065 crores. That is why there is no capital formation in agriculture. Without capital formation without investment in agriculture, the assets will not increase and productivity also will not increase.

One of the main important points in this situation is that land is also getting degraded every year. That has become a problem and, I think, it has reached unmanageable proportions. As far as I could read, more than 50 per cent of our geographical area 175 m. hectares is degraded in terms of whatever

productivity is there. It is said that 120 million hectares of land out of 175 million hectares is suffering from water erosion and also soil erosion. Forest land is also getting degraded. Land is an important wealth of our nation. That land is getting degraded, and the Government has not done anything. In this situation, their investment is going down and the private investment also is not coming up.

Fortunately, in this Resolution, the Government has not come out with any theories about subsidies. but in this year itself, the Government has provided us with an Economic Survey, in which it is said that agriculture is not a paying proposition and unnecessarily subsidies are being paid through irrigation and also electricity. They have calculated as if agriculture is a commercial proposition, as if irrigation also is a commercial proposition. All these things will not work. I don't think air, water and food can ever be commercial propositions. There cannot be any profit motive. They cannot be remunerative. Therefore, if you allow these things to be left to the market forces, they may charge anything. If you want to levy the proper charge, as per your calculations, as per the cost of investment, for things like water and electricity, reciprocally, you should also give them a proper price for their produce. That is not possible.

The element of subsidy is there not only in our country. What do we see when we study the experience of the most developed countries? I am giving this comparison because, nowadays, our Government is trying to copy the capitalist model. They have left out the socialist model. They have lost belief in it. I can understand that. But what is the experience of the developed countries? There also, they have not left these things to the market forces. As per what I have read in the newspapers or somewhere else, even after the coming into being of the World Trade Organisation, they have been subsidising, in the E.E.C. countries, to the extent of

28 billion dollars and, in the U.S.A., to the extent of 106 billion dollars. In the Marrakesh Agreement, there is one clause, known as the peace clause, which would not affect us it would affect them. They are, however, trying to circumvent the provisions of the World Trade Organisation. Nowadays, instead of providing a subsidy for exports, they are providing a subsidy for production. There is a new term used. They are calling it 'producer's subsidy equivalent'. In the 25 O.E.C.D. countries, it is to the extent of 180 billion dollars. Even when the U.S.A. was selling paddy to China this year, they had provided 60 dollars per tonne.

The point I am making here is that no country can escape from this. Our country also cannot escape from this subsidy. They have to provide it unless, of course, agriculture becomes so prosperous that it can compete with industry, it can compete with the market forces. That is a different matter altogether. I do not visualise such a situation. When even the advanced, capitalist, countries cannot avoid this, how would we be able to do it? Our country would not be able to change the policy in regard to subsidy. This is all the more so in the case of small and marginal farmers. The situation is not such as to avoid paying subsidy to them. They cannot survive otherwise. They do not have the wherewithal to make investments for future years also.

Therefore, when we are talking of agriculture becoming equivalent to industry or whatever it is, it is not possible. It shall have to be treated on a separate footing.

Another thing is, I came across a paper — I think this has been circulated to all Members — that the corporate sector was also trying to involve itself in agriculture. I do not know whether this is the policy of the Government because it has not been mentioned in this Draft Resolution. I do not know whether they would, in the name of export promotion, in the name of providing a better price to the farmers,

invite the corporate sector. But if it is the policy of the Government, they should have enunciated it in this Resolution or somewhere else. I would, however, say that the corporatisation of agriculture is a very dangerous proposition. The Government is talking of fragmentation of land holdings. It does take place. This is an inevitable consequence of the property relationship in the villages. You cannot stop it. But in the name of productivity or better production, if you want to convert the small holdings into big holdings and permit the corporate sector into agriculture, it would lead to a dangerous situation. I have no objection if the peasant himself wants to sell away his holding or agrees to other arrangements. But I do not think any peasant would be ready to forego his interests. Therefore, the Government must bear this in mind. It is a different matter if the Government's policy is to encourage the entry of the corporate sector into agriculture. In that case, they should have to stand on a par with those who are in the agricultural sector. They should not be treated in any special manner. (*Time-bell*)

Then, Sir, coming to irrigation, it is one of the most important ingredients for the development of agriculture. What do we see in this regard? Many projects are silting. We see in the Annual Report a claim by the Government that they have taken up water shed management, flood control measures, this and that. They may be doing certain things — I don't mind. But degradation is taking place in millions of acres while they are helping only in thousands of acres. If that is the situation, I think all the projects, especially in my State, will become useless. During my time, the foundation stone was laid for the Pochampadu project by Jawaharlal Nehru. I was also present then as an MLA at that time. But now that project is silting up. It cannot hold even as a medium type project. In the next 25 years, I am told, the project will be almost a dried up thing and it will not hold much water. In almost all the Godavari projects, where silting is a big

phenomenon, Government is not doing anything. So, the projects were built during our time and they are also silting up during our time, without providing any sustainable benefits to the peasants.

We are talking of developing agriculture and so many things, from the ecological point of view, saving land from degradation and also for helping agriculture to serve the future needs of the society. So, so many things are there. Unfortunately, whatever steps the Government is taking are not at least to the extent that are needed. So, in this background the Government must take it up as a challenge, at least to stop this degradation and to improve those lands which had already degraded, and also to provide more money and better resources for capital formation and equitable justice to the deprived sections in the agricultural sector, especially the agricultural workers and small and marginal farmers. Sir, my last point is about prices. Whenever we talk of remunerative prices to the peasants, there is opposition from the other sections. And some people have come to the stage of accusing the peasants as exploiters. Because the peasantry and agriculture are part of our economy, if there is inflation in the system, naturally that will have a reflection in agriculture also. The inflation may be caused by agricultural prices also. Anyway, there is a system of calculation, both for industry and agriculture and the different sectors of economy. The Government is now and then deciding and fixing the prices as per the recommendations of the Agricultural Prices Commission, but I think it is an ad hoc arrangement and it will not solve the problem. Therefore, my suggestion is that there should be a permanent Commission. Especially, they should keep in mind not only the cost of inputs, expenditure and other things — that may be necessary — but the main thing is, the terms of trade between agriculture and industry should be properly settled once and for all. There should be a Commission to monitor the terms of

trade, in which way it is drifting, either in favour of agriculture or in favour of industry, and there should be an equitable basis between these two. So, if there is a permanent Commission, then, if the agricultural prices are going up very high in relation to other things, they can be brought down. If the other things go within the scope of market forces, I think the Government should take some steps to regulate the prices so that there is no grievance either from the urban side or from the poorer sections about the high prices of agricultural produce.

Sir, one thing is very clear. The peasants must be given remunerative prices, and that should be also in relation to the general needs of the economy. That is why there should be an equitable basis by appointing a permanent Commission to fix up these prices.

Thank you very much, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): Shri K.K. Veerappan. Be cautious about the time, please.

SHRI K.K. VEERAPPAN (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, though the Minister has brought the Draft Agriculture Policy after a very long time. I appreciate that he has brought it at least now.

Regarding the status of farmers, our famous Tamil poet. Thiruvalluvar, has said and I quote:

“Uzhundundu vazhvare vazhvar  
Matrellam thozhudundu pinselvar.”

The meeting is that only the tillers of the land lead the real life helping the society and that other people have to live only with the help of agriculturists. But, now the position of agriculturists is that they are stretching their hands to other people of the society for their livelihood. They are not getting remunerative prices for their produce.

The Minister has stated in para 9.

“Government would continue to discharge its responsibility for

ensuring remunerative agricultural prices to the farming community."

But, in real life it is not so. There is one factory in my area the Salem Co-operative Sugar Mill. The sugarcane growers there are suffering a lot because no cutting orders have been given to them for 17 months. The crop has to be cut between the 11th and the 12th month but even after a lapse of 17 months they have not been able to get cutting orders. So, there is additional expenditure by way of irrigation. The cutting charges also increase. The transport charges also increase. So, they are suffering heavy losses due to loss of weight of the cane. The price given for the sugarcane is also very low. I request the Minister to consider this. At least the subsidy from the Central Government should be increased. You should also fix the price of sugarcane at not less than Rs. 1,000/- per tonne.

All other producers of commodities, industrial goods or others, are entitled to fix the prices as they like. On the other hand, the agriculturists are not having that right. Either the Central Government or the State Government is fixing the prices. They are facing this difficulty also.

My second point is that the storage facility for agricultural products is not sufficient. Also, the marketing facility for agricultural products is not sufficient. There is a marketing society in my native place. There, the farmers have to store their cotton in an open place. Due to rains, it becomes wet. So, four kilos are deducted from the weight of each bag. Five hundred or six hundred farmers engaged themselves in a road *roko* agitation. Finally, it was dissolved. So, I request the Minister to look into this matter and to create storage facilities for agricultural produce.

My third point is regarding crop insurance. In para 8 of this Draft Agriculture Policy, it has been stated:

"Comprehensive crop and livestock

insurance schemes will be redesigned."

This was being said for a very long time, but nothing fruitful has been done in this regard.

On an earlier occasion, I asked for a clarification from the Minister during the Question Hour. The insurance companies are not willing to insure betel leaf crop. They are refusing to insure the crop. The cost of cultivation of betel leaves crop for an acre comes to about Rs. 1 lakh. Sometimes pests and other natural calamities destroy the entire crop. They are suffering a lot. They are spending more than Rs. 1 lakh for cultivating one acre of betel leaves. If they suffer any loss, the entire family is doomed. That is the position. So, I request the hon. Minister to take necessary steps to include betel leaves crop also in the Crop Insurance Scheme.

Regarding providing of free electricity to farmers in Tamil Nadu, my colleague Mr. O.S. Manian stated that the present Government in Tamil Nadu was providing free electricity to farmers. But I want to correct him. Providing of free electricity scheme was introduced by our leader, Dr. Kalaignar Karunanidhi during the DMK regime in 1988-89. Though free electricity has been provided to them still they are not able to survive because of the high cost of fertilizers and pesticides. The cost of these things have gone up by three or four times in the last three or four years. I take this opportunity to request the hon. Minister to increase the subsidy on fertilizers by at least 25 per cent of the cost so that farmers can be benefited. Now, I want to say a few words about poultry farming. I belong to a poultry farming town, Namakkal. It is the second largest place of poultry farming in India. Poultry farming is now in the industrial sector. I request the hon. Minister to include it in the agricultural sector. It is a long-standing demand. An All India Poultry Conference was held in Tamil Nadu. The then Minister of Agriculture, Shri K.C. Lenka also

attended that conference. A memorandum was submitted to him by farmers to include poultry farming in the agricultural sector. He also assured the organisers of the conference that necessary steps would be taken to include it in the agricultural sector. I want to know from the hon. Minister whether any concrete steps in this regard have been taken.

Now, I would like to mention about advancing of loans to farmers by the nationalised banks. As per the guidelines of the Reserve Bank of India, nationalised banks should give 18 per cent of loans to agriculturists. But, I am sorry to say that no bank is advancing 18 per cent of loans. Instead they are advancing it to rich persons in the name of high-tech agriculture for sericulture and prawn culture. I would request the Minister to take necessary steps to monitor whether the guidelines of the Reserve Bank of India are being followed by the nationalised banks in advancing loans to farmers.

The cooperative movement in the country should be strengthened. In Tamil Nadu, no elections have been held for the cooperative or the past four years. This point also should be considered by the Minister.

My last point pertains to linking of all national rivers. This proposal is pending since the time of Dr. K.L. Rao, former Irrigation Minister. If linking off all national rivers had been done, the Cauvery water dispute would not have arisen. Actually, the order of the Cauvery Waters Tribunal was not implemented by the Government of Karnataka. No effective step has been taken by the Central Government to implement the Cauvery Water Tribunal's orders.

Regarding the linking of the southern rivers, Narmada, Godavari and Cauvery, the National Water Development Agency examined the second proposal which Tamil Nadu is interested in. It has been

found to be a feasible project. A technical Committee also recommended it. They have estimated the cost of the project also. The viability, feasibility and usefulness were established by experts. Most of the surplus waters in the Godavari region go waste to the sea now. The agriculturists who will be benefited by the project are ready to contribute to meet the cost of the project. Lakhs of acres of land will be benefited by this project. The World Bank is also prepared to finance this project. In spite of the recommendations of the Expert Committee, the Central Government has not taken any steps to implement this project. The necessary steps should be taken to implement this project. If it is implemented, India will not only be self-sufficient in food production but also can export large quantities of foodgrains to other countries. With this submission, I conclude, Sir.

Thank you very much.

**श्री अनन्तराम जायसवाल (उत्तर प्रदेश):** माननीय उपसभापति जी, विचाराधीन संकल्प के द्वारा सरकार बागवानी, पशु-पालन, मत्स्य-पालन, कुक्कुट-पालन वगैरह विकास करते हुए खेती के समग्र विकास के लिए वचनबद्ध हो रही है, उसके लिए कुछ काम करने और कानून बनाने का भी सरकार बचन दे रही है। सरकार ने इसमें विश्वास व्यक्त किया है कि इस संकल्प के परिणामस्वरूप गांव के लोगों की आज बढ़ेगी, उनके जीवन-स्तर में सुधार होगा और शहर और गांव का फर्क खत्म होगा, खासकर स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में। लेकिन मैं समझता हूँ और मेरी निश्चित राय है कि सरकार का यह विश्वास सही साबित नहीं होगा और इसके माकूल कारण हैं।

पहला कारण यह है कि समस्याएं बहुत बड़ी हैं। मिसाल के लिए गांव में चले जाइए, कहीं सम्पर्क मार्ग नहीं है, सड़के नहीं हैं, बिजली का प्रबंध नहीं है, भंडारण की व्यवस्था नहीं है, विपणन की व्यवस्था नहीं है और क्षेत्रों का जो असंतुलन है, वह भी बहुत बड़ा है। इन सबके लिए बहुत बड़ी धनराशि की ज़रूरत है। सरकार ने इस प्रस्ताव में कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया है कि कितनी धनराशि की ज़रूरत उसको पड़ेगी, कितने सालों तक पड़ेगी और कैसे वह जुटाएगी, कैसे वह प्रबंध करेगी, इसका कोई जिक्र इसमें नहीं है। दूसरा

कारण है सरकार की इच्छा-शक्ति शासकों की इच्छा-शक्ति उसकी भी कोई मजबूती इसमें दिखाई नहीं देती और इसका नतीजा यह होता है कि इतनी बड़ी-बड़ी समस्याओं को देखकर शासक हिम्मत हार जाते हैं, हाथ-पैर छोड़ देते हैं और फिर चीजें जैसे चलती हैं, वैसे ही चलती रहती हैं इसके संदर्भ में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सिंचाई, हमारी खेती योग्य भूमि जो है उसमें से मुश्किल से एक तिहाई पर आज तक हम सिंचाई कर पाए हैं। इस दिशा में अंग्रेजों के जमाने में जो काम हुए करीब 100 साल तक और 50 साल के आसपास इस सरकार ने जो काम किया है, तो 150 साल के काम के बाद सिंचाई का एक तिहाई काम हुआ है और जो दो तिहाई बचा है, अगर इस रफ्तार से हम चले तो शायद 300 साल और लगेंगे इस काम में, उससे पहले यह होने वाला नहीं है। तो यह मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि किस तरह से यह सरकारी काम होते हैं। कभी-कभी प्रयोरिटी निर्धारण करने में भी गलती हो जाती है। जैसे शुरू में सरकार का यह था कि बड़े-बड़े बांध बनाएंगे और पानी की इफरात हो जाएगी। लेकिन उससे काम हल नहीं हुआ। जो लोग समस्या को अच्छी तरह से जानते थे, उन्होंने जब भाखड़ा नांगल वगैरह की बात हो रही थी तो उसी वक्त कहा था कि इन बड़े बांधों से कुछ अकेले होने वाला नहीं है, जब तक इनके साथ छोटी और मझौली योजनाएं भी शुरू नहीं की जाएंगी। यह बात दर से समझ में आई। लेकिन उसका स्वागत होना चाहिए कि अब तो अकल आई है सरकार की। वह अकल कब आई जब उन्होंने जमीन के नीचे का पानी-भूतलीय पानी को नुकसान पहुंचाया और वह बराबर नीचे चला जा रहा है। तो अब उन्होंने वह स्कीम जिसको वाटर शैड या पनधारा बोलते हैं, शुरू की है। मैंने कर्नाटक में खुद दो स्थानों पर जाकर देखा है। स्कीम बहुत अच्छी है। उससे एक तो यह होता है कि यूनिवर्सिटी के और संस्थान के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने वह टैक्नीक डवलप की थी कि ऊबड़-खाबड़, जमीन में पानी को एक जगह नीचे के हिस्से में ले जाकर इकट्ठा करते हैं बरसात के पानी को। वे जमीन का समतलीकरण भी करते हैं और खेत बना देते हैं और वहां पर कौन बनस्पति और कौन फसल अच्छी तरह से हो सकती है इसकी राय भी किसानों को देते हैं। तो वह स्कीम बहुत कामयाब है। जब सोमपाल जी बोल रहे थे उन्होंने यह कहा था कि इस स्कीम के लिए आप कोई समयबद्ध योजना बनाइए 10 साल, 5 साल, 7 साल, 20 साल जो आपके संसाधन हैं उसको देखते हुए और जो मानसून पर आधारित खेती है इस देश में उसको आप कवर

कीजिए इस योजना से। मैं जोर देना चाहता हूँ कि ऐसा इनको करना चाहिए। जब मंत्री जी जवाब देने लगे तो उनको इस पर भी कुछ प्रकाश डालना चाहिए कि क्या कोई ऐसी समयबद्ध योजना है जिसके अंदर इस काम को करना है?

एक और चीज देखने में आई। अभी हम एक कमेटी के सिलसिले में कुल्लू मनाली और शिमला वगैरह गए थे। वहां के लोगों ने सेब लगाना शुरू किया हुआ है। लेकिन उनकी शिकायत यह है कि सेब तो वह पैदा करते हैं लेकिन मार्केट में वह ठीक हालत में पहुंच नहीं पाता है। हमसे ज्यादा मंत्री जी जानते हैं, क्योंकि भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं है। वे चाहते हैं कि उनके लिए भंडारण बनाए जाएं तथा दिल्ली, जो उसकी मेन मार्केट है वहां पर भी भंडारण का निर्माण होना चाहिए। इसके अलावा आवागमन और परिवहन की सुविधा नहीं है। फिर पहाड़ी रास्ते भी ऐसे हैं जहां पर बस या ट्रक तक सामान लाने में बड़ी असुविधा होती है। तो उनकी यह भी मांग थी कि वहां पर जो रोपवे वाली गाड़ी चलती है तो उनका प्रबंध किया जाए। जब आप विविधीकरण पर जोर देते हैं तथा किसानों को फूल पैदा करने के लिए कह रहे हैं तो फूल बम्बई में या दिल्ली में भेजने के लिए वे हवाई सर्विस की भी मांग कर रहे थे। उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। बैंक का भी प्रबंध ठीक नहीं है। जगह-जगह पर उसकी भी शिकायत मिली। स्थानीय तौर पर कमेटी ने उसको ठीक करने की कोशिश की थी। लेकिन मैं आपकी जानकारी में यह लाना चाहता हूँ कि लोग मेहनत करते हैं, अच्छी फसल देते हैं, फल देते हैं और इसके बावजूद उनका कोई बहुत हद तक अच्छा नतीजा नहीं निकलता है। इसके साथ आप यह भी देखेंगे कि वहां के एम०ए० और बी०ए० पास तथा इससे भी ऊंची तामील पाए हुए नौजवान लोग तथा दूसरे कम पढ़े-लिखे लोग भी सब काम में लगे हुए हैं। कोई बक्सा बना रहा है, कोई फल तोड़ रहा है, कोई उनको ढो रहा है। तो इतने लोगों को तो यह काम देना है कि पहाड़ के सारे लोग इस काम में लगे हुए हैं, जहां पर मैं गया था। और फिर इसका सिलसिला बढ़ रहा है हमारे उत्तर प्रदेश के पहाड़ों में भी यह शुरू हुआ है। अब सिक्किम तक पहुंच गया है और आगे भी जा सकता है लेकिन इसके विपणन की, भंडारण की कोई माकूल व्यवस्था नहीं है, उसकी तरफ सरकार का फौरन ध्यान जाना चाहिए। सरकार ने कहा तो है कि विपणन और भंडारण वगैरह का प्रबंध करेंगे इसी प्रस्ताव में है, लेकिन हर जीज मंत्री जी ने छोड़ दी है भविष्य पर। कानून बनाना इसके लिए, पैसे का जुटाना या और जो काम

करने जरूरी है, सब भविष्य पर छोड़ दिए हैं। लेकिन यह नहीं बताया है कि वह भविष्य कब आएगा। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि रावण ने भी एक बार स्वर्ग तक सीढ़ी बनाने की बात कही थी लेकिन वह बेचारा बना नहीं पाया और चला गया। मंत्री जी, आज आप हैं, कल नहीं रहेंगे। जिस अंदाज़ में, जिस भावना से आप बोलते हैं, लगता है कि आप किसानों के सचमुच हितैषी हैं।

**श्री संघ प्रिय गौतम:** रावण ने स्वर्ग को तो सीढ़ी लगानी चाही लेकिन ये नहीं लगा रहे हैं।

**श्री अनन्तराम जायसवाल:** आपकी इस भावना की मैं कद्र करता हूँ और चाहता हूँ कि आप कुछ समय सीमा बाँधिए, कुछ अपने रहते-रहते काम की शुरूआत कीजिए जिससे आगे आने वाले लोग और उस काम को आगे बढ़ाये। इसके तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए। खाली भविष्य पर आप छोड़ देंगे तो उससे काम चलने वाला नहीं है।

दूसरे यह जो असंतुलन है, इसको आप कैसे दूर करेंगे? यह राज्यों के बस का है भी नहीं और न राज्यों के पास इतने साधन हैं। सरकार यह कह कर छुट्टी लेना चाहती है कि ये तो काम स्टेट्स के हैं, राज्यों के हैं, प्रदेशों के हैं और इस सिलसिले में जो राज्य काम करेंगे, प्रदेश काम करेंगे, उनको सरकार पूरा करने में हाथ बँटाएगी लेकिन ये हाथ आप कैसे बँटाएंगे उनको किस तरह की मदद देंगे, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है।

उसी तरह हमने देखा है पहाड़ों पर ही कि ये बड़े-बड़े बांध वाला नहीं, पानी की जो छोटी-छोटी वहां पर धाराएं हैं, उनसे पानी लेकर बिजली पैदा कर रहे हैं। एक जगह तो हमको बताया गया कि दो-तीन लाख रुपए में वह बन गया, आस-पास के गांवों में सब जगह बिजली मिल रही है। कुछ और काम ऐसे हो रहे हैं और हरिद्वार में हमने देखा कि अच्छा-खासा बगैर कोई बड़ा बांध बनाए हुए वहां पर काम चल रहा है। तो ये बड़े-बड़े बांध का मोह, जिनमें पर्यावरण का झगड़ा है जिनमें लोगों के उजड़ने का झगड़ा है, उनका मोह छोड़ दीजिए और ये जो पानी के स्रोत हैं, आप उनका इस्तेमाल करके या जल संसाधन मंत्रालय को आप कहिए कि जब ये इतने अच्छे नतीजे दे रहे हैं तब इनकी तरफ उनका पूरा ध्यान जाना चाहिए, यह मैं सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ।

मान्यवर, एक-दो चीज़ें और। सिर्फ दो मिनट और लूंगा।

**उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल):** आपको मैंने जितना समय निर्धारित है, उससे दुगुना समय दिया है आपका भाषण अच्छा था इसलिए।

**श्री अनन्तराम जायसवाल:** मंत्री जी ने दावा किया है कि सरकार ने अन्न की पैदावार बहुत बढ़ाई है लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि क्यों यह बढ़ी? कम से कम चार-पांच साल से अच्छा मानसून मिल रहा है और एकाध साल तो सर्वोत्तम मानसून था। उसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, यह आपने नहीं बताया। अगर मानसून साथ न दे तो आप इंद्र को कोसेंगे लेकिन उन्होंने आपकी मदद की है तो उनके योगदान का नतीजा भी बताना चाहिए? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंत में लोगों को खाद्यान्न मिलता था 418.5 ग्राम और दालें मिलती थीं 61.6 ग्राम और दोनों का योग होता था 480 ग्राम और 1994 में आपके राज्य में खाद्यान्न में थोड़ी वृद्धि हुई है। वह बढ़ कर हो गया है 436.4 ग्राम पर दालें घटकर रह गई हैं मात्र 37.8 ग्राम और दोनों का अगर योग देखें तो यह 474.2 है तो इस तरह से किसी मामले में हम बढ़े नहीं बल्कि घटे हैं। इस प्रति व्यक्ति उपलब्धि पर एक चीज़ और है जिसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जाता है, वह यह है कि कुछ लोग जिनके पास ज्यादा पैसा है या जिनको ज्यादा अन्न की जरूरत है, जो मेहनत करने वाले फौजी हैं, वे इसमें से ज्यादा हिस्सा ले जाते हैं और जिनके पास पैसा नहीं है, गरीब लोग हैं, उनको कम मिलता है, उनका पेट भरना मुश्किल हो रहा है। आपके भंडार भरे हुए हैं अन्न से आपके सचिव ने तो हमारी कमेट्री के सामने गवाही देते हुए यहां तक कह दिया कि चूंक भंडारण की जगह नहीं है इसलिए हम अन्न का निर्यात करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो अगली पिछर है, उड़ीसा में लोग मर रहे हैं। अभी हम गये थे, हैदराबाद, प्रकाशम जिले में भी यही स्थिति है। तो एक तरफ लोग भूख से मर रहे हैं और आप डींग मार रहे हैं कि हमारे भण्डार भरे हुए हैं, अन्न की पैदावार इतनी बढ़ गयी है। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि लोगों को अन्न सुरक्षा के मामले में किसी प्रकार की ढील नहीं दी जानी चाहिए। आप उसी वक्त निर्यात के बारे में सोचिए जब हमसे बचे और देश की जरूरत से अधिक हो, उससे पहले निर्यात की बात नहीं सोची जानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप संसाधन कैसे जुटाएंगे? आपने यह कहा है कि सार्वजनिक निवेश के जरिए से और निजी क्षेत्र का भी खेती के विकास के लिए निवेश करने के लिए सहयोग लेंगे। निजी निवेश का रूप क्या होगा, कैसे करेंगे और क्या वह इसमें



आपने जहां पर नफा दिखायी नहीं देता? तो इन चीजों पर भी आप बोलते हुए यदि प्रकाश डालें तो अच्छा होगा और सदन की जानकारी बढ़ेगी। लेकिन आपके प्रस्ताव में ऐसा कुछ है नहीं। प्रस्ताव बिल्कुल अस्पष्ट है और जनरल है। जो जनरल और कंक्र्रीट में अंतर होता है। कंक्र्रीट इससे बिल्कुल गायब है, जनरल है। तो ऐसी हालत में कैसे सब लोग इसका समर्थन करेंगे? मैं कहता हूं कि हमारे जैसे लोग मजबूर हैं और इसका समर्थन नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद।

(समाप्त)

**उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल):** श्री जनेश्वर मिश्र, सिंगला जी, आपकी पार्टी का समय समाप्त हो गया है और 13 मिनट ज्यादा लिये गये हैं तो मैं कोशिश करूंगा क्योंकि अभी जनेश्वर मिश्र जी बोल रहे हैं और इन्का समय पांच मिनट का लिखा है पर मैं जानता हूं मेरे पुराने साथी हैं, सहयोगी हैं, पांच मिनट में तो नहीं बिठा सकता। दस मिनट तो लेंगे ही। अगर समय बचेगा तो अवश्य आपको दूंगा।

**श्री जनेश्वर मिश्र (उत्तर प्रदेश):** उपसभाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं दो लोगों को जो पहले बोल चुके हैं, सोमपाल जी और रणबीर सिंह जी, उन लोगों की तारीफ करूंगा कि कृषि नीति पर बोलते हुए किसानों की समस्या का विस्तरेण इन लोगों ने बढ़िया किया है और कुछ मानों में कृषि मंत्री जी की भी तारीफ करूंगा, कांग्रेस पार्टी के मित्रों ने भी कृषि मंत्री जी की तारीफ की कि पहली बार आजादी मिलने के बाद उन्होंने सदन में इस तरह की नीति रखी जो किसानों के लिए लाभकारी है। हम इतना जरूर कहेंगे कांग्रेस पार्टी के मित्रों से और विपक्ष के मित्रों से कि थोड़ी देर हो गयी है क्योंकि मनमोहन सिंह जी की नयी आर्थिक नीति के बाद या इस सरकार की नयी आर्थिक नीति के बाद क्या हिन्दुस्तान की कोई स्वतंत्र कृषि नीति हो सकती है? यह एक सवाल है जो हिन्दुस्तान की आम जनता के दिमाग में नाच रहा है। जिन समझौतों पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं या अपनी मंजूरी दे दी है, अगर उन समझौतों को मान लिया जाए तो खेती से जितनी हमारी पैदावार होगी, उस पैदावार का तीन सैकड़ा से आठ सैकड़ा तक हमें बाहर के लोगों से मंगाना पड़ेगा। वह लोग तर्क देते हैं कि हम तुमको बीज देते हैं। यह बीज पैदा करने में हमारा दिमाग लगा है, हमने रिसर्च किया है तो तुम्हें हमारा गल्ला मंगाना पड़ेगा। उसके बाद हिन्दुस्तान का किसान अपनी पैदावार के लिए उत्सुक होगा, उसमें रूझान होगा। वैसे ही हिन्दुस्तान का किसान बड़ा उदास किसान है। वैसे ही

खेती सारी दुनिया में उपेक्षित विषय है और आज से नहीं, अर्थशास्त्र पर बड़े-बड़े सिद्धांत जब से आए हैं, तब से। हमारे मित्र कम्युनिस्ट लोग और मार्क्स ने भी खेती को बहुत प्राथमिकता नहीं दी थी। सर्वहारा के वर्ग में किसान को नहीं लिया था। माना जाता था कि वह जमीन का मालिक है। पैटी-बुर्जुआ उसको कहा जाता था। हमने पढ़ा है। बहुत खराब किस्म की भाषा थी। माना जाता है कि वह मालिक है। धीरे-धीरे वह मालिक छोटा किसान हुआ, वह या तो मजदूर बन गया या अगर कमाई कर ली तो वह बड़ा मालिक बन गया। कई बार किसानों की समस्याओं पर जब चर्चा करते हैं तो इधर से और उधर से भी बात छिड़ती है कि ये कुलक हैं। यह सब इनको फायदा होने वाला है। लेकिन असल बीज तो कृषि की पैदावार है। यह तो अभागी पैदावार है। दुनिया में दो तरह की पैदावार होती है। दो तरह के पसीने होते हैं। एक पसीना होता है जो लोहे पर, मशीन पर गिरता है और एक पसीना होता है जो मिट्टी पर गिरता है। मिट्टी पर पसीना गिरने वाला किसान होता है और लोहे पर पसीना गिरने वाला मजदूर होता है। जो लोग दुनिया में समता का सपना देखते हैं वे लोहे पर और टेबल पर पसीना गिरने वालों के बारे में बहुत चिंता किया करते हैं। मिट्टी पर पसीना गिरने वालों के बारे में कम सोचा करते हैं यह सौतेला व्यवहार युगों से हुआ है। आज भी यह कृषि नीति आई है। इस पर हम को सोचना होगा कि क्या स्वतंत्रपूर्वक कुछ कर सकेंगे? हमारे सामने जिस तरह की मजबूरियां आ रही हैं आर्थिक जगत से, जिन समझौतों पर हम जा रहे हैं, हमारे सामने सवाल खड़ा होता है कि हमारी खेती के लिए सिंचाई का इंतजाम हो, हमें बढ़िया बीज मिले। हम अपनी प्रायइरीटिज डिक्लेट नहीं करेंगे दुनिया के बाजार में। क्योंकि दुनिया के बाजार वाले अपने कारखानों से जो कुछ कूड़ा करकट है उसको बेचने के लिए और हमें खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। जो सेलुलर फोन वगैरह की बात चलती है यह दुनिया के बाजार वाले हम को खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं क्योंकि दुनिया के बाजार में वह ज्यादा हो गये हैं। वह नहीं चाहते हैं कि हम कृषि के मामले में तरक्की कर सकें और स्वतंत्र हो सकें। क्योंकि उनका जो बीज है वह बीज हमारे किसानों की समझ में नहीं आयेगा। हमारी जमीन अलग किस्म की है, हमारा मौसम अलग किस्म का है। यह सही है जैसा एक मित्र ने कहा था कि सूरज की रोशनी में इतना दम हुआ करता है कि वह खाद का भी काम कर दे और जमीन को भी जला दे। बहुत अच्छा लगा था। लेकिन उसके बाद भी हमारे यहां जिस तरह के बीज, जिस तरह की खाद आज डाली जा

रही है उससे हमारी जमीन की प्रजनन शक्ति खत्म होती जा रही है। जो कुछ भी हम पैदा करते हैं वे दफ्तर के बाबू कारखाने के मजदूर पहली तारीख को ही अपने घर ले जाते हैं। दुकानदार नहीं क्योंकि दुकानदार तो हर मिन्ट जो सौदा बेचता है उसमें मुनाफ़ा कमाना चाहता है। मजदूर या दफ्तर का बाबू हर महीने पहली तारीख को अपनी तनखाह ले जाता है लेकिन किसान 6 महीने के बाद अपनी फसल लेता है। जितना ही लम्बा दौर होगा अपनी मेहनत की कमाई लेने का, आदमी का मन उतना ही निरुश और उत्साहहीन और धीमे-धीमे चलने वाला हो जाया करता है। किसान के इस चरित्र को हम नहीं समझेंगे तो मुश्किल पड़ेगी। उसके उत्पादन के साथ अन्याय हो रहा है। मैं नहीं जानता कृषि मंत्री जी इस दर्द को समझ रहे हैं या नहीं? एयर कंडीशंड कमरे में बैठकर उस किसान की पैदावार को जो पसीना बहाकर खुरपी और फावड़ा चलाकर अपने खेत में उत्पादन करता है इस दर्द को समझना कृषि मूल्य आयोग के बूते के बाहर है। कृषि मंत्री जी यह सफारी सूट पहन कर किसान के दर्द को नहीं समझा जा सकता। उनके दर्द को समझने के लिए थोड़ा बहुत अलग से दिमाग लगाना पड़ेगा, किसान जैसा होना पड़ेगा। उसके बीच में जाने के लिए उसके जैसा होना पड़ेगा। आप किसान के इंताजामकार तो बढिया हो सकते हैं, किसान के घर तो पैदा हो सकते हैं लेकिन गांधी तो किसान के घर पैदा नहीं हुए थे फिर भी चम्पारन से लेकर बरदौली तक किसानों का आंदोलन किया था स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान। लोहिया जी किसान के घर पैदा नहीं हुए थे। फिर भी नाहरेट के आंदोलन से लेकर बेदखली के सवाल पर कई बार किसानों का आंदोलन किया था। किसानों का दर्द जरूरी नहीं है कि किसान के घर में जो पैदा हुआ वही समझे। किसान जो पैदा करता है वह चार महीने के अंदर खराब होने लगता है। गेहूं हम दस साल तक नहीं रख सकते हैं। लेकिन टाटा साहब जो लोहा पैदा करते हैं वह 20 साल तक भी रख सकते हैं। टाटा साहब अपने लोहे का भाव अपनी मर्जी से तय करेंगे और किसान को अपने गेहूं का भाव तय करने के लिए आपके सामने हाथ पसार कर कहना पड़ेगा हमारी मदद करो। तब आप कहेंगे हम समर्थन मूल्य तुम को दे रहे हैं। समर्थन मूल्य के इधर-उधर नहीं होगा। समर्थन मूल्य देने में आप उस पर कृपा नहीं करते। आप जानते हैं कि किसान जो गेहूं पैदा करता है, जो धान पैदा करता है, वह अवेक्ता किसान नहीं खाएगा। किसान जो गेहूं पैदा करता है, वह आपके सेक्रेटिरियेट का बाबू भी

खाएगा, मिनिस्टर भी खाएगा, सेठ भी खाएगा। वह सब के खाने के लिए जीवनोपयोगी है। इसलिए उसके दाम को रोक दिया जाता है कि इतने से ऊपर नहीं चढ़ना चाहिये। वह ऊपर चढ़ा भी नहीं सकता है। उसकी मजबूरी है क्योंकि एक साल में गेहूं सड़ जाएगा। कागज नहीं सड़ेगा, लोहा नहीं सड़ेगा, सीमेंट बचाया जा सकता है। कारखानों के सारे सामान की मियाद ज्यादा हुआ करती है, खेती से जो पैदा होता है उसके मुकबले में। उसमें भी यह जो साग-सब्जी वाला है, मैंने देखा है बाज़ार में सवेरे टमाटर अगर तीन रुपये किलो बिकता रहता है तो शाम को जब मैं उसी सड़क से जाता हूं तो वह 8 आने किलो बिकने लगता है। टमाटर पैदा करने वाले की मजबूरी, टमाटर बेचने वाले की मजबूरी इन मजबूरियों के बारे में इस पूरे दस्तावेज़ में कुछ नहीं लिखा गया है कि क्या करेगा किसान और उसके दाम का क्या होगा? उसके घर में अगर फसल तैयार होगी तो माटी के मोल बिकने लगेंगी। यह मकई जो तैयार करता है पांच रुपये किलो बिकती है और मकई मोहन मीकिस में अगर कर्न फ्लैक बन जाती है तो ढाई सौ रुपये किलो हो जाती है। कल चिप्स के बारे में मित्रों ने बताया था। यह जो वाटर-मेलन है, तरबूज जिसको कहते हैं, एक तरबूज एक रुपये में बिकता है। अशोक होटल में एक तरबूज के चार गिलास शरबत तैयार होते हैं और एक गिलास 25 रुपये में बिकता है। सरकारी कारखाना है। एक रुपये का तरबूज, 25 रुपये के हिसाब से 100 रुपये का हुआ। एक रुपये का तरबूज खरीद कर 100 रुपये का शरबत बेचा जाए, उस पर शान-शौकत, टाट, बैरा का खर्च, पूंजी का खर्च जोड़ा जाए तो एक रुपये का 10 रुपया कर लेते। 100 रुपया कैसे? इतनी बड़ी लूट क्यों? हमारी मजबूरियों का क्यों फायदा उठाया जाए? यह किसान की अपनी मजबूरियां हैं। यह मजबूरियां इस सीमा तक हैं कि किसान के खेत में अरहर तैयार होगा तो वह सात-आठ रुपये किलो बिकेगा और उसी अरहर की दाल 52 रुपये, 40 रुपये और कहीं-कहीं तो 55 रुपये प्रति किलो किसी-किसी शहर में है। किसान आठ रुपये किलो अपनी अरहर बेच देता है। कल अगर अपनी अरहर बेचने के बाद साल के आखिर में कभी तबीयत कर गई अरहर की दाल खाने की तो आठ रुपये किलो अरहर बेचने के बाद बाजार में 40 रुपये किलो दाल खरीदता है। उस पर यह डबल मार पड़ रही है। इसके दर्द को कृषि मूल्य आयोग के लोग समझेंगे या नहीं समझेंगे। यह सवाल मैं नयी कृषि नीति रखने वाले मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं। आप कभी समझेंगे या नहीं समझेंगे? अगर आप समझेंगे तो उसके हल के

लिए क्या करेंगे? पिछली कुछ सरकारों ने किसानों के लिए कर्ज देने की बातें घोषित की थी। उस समय बैंकों के अफसरों ने, समाज के दूसरे वर्ग के लोगों ने किसानों के खिलाफ ऊट-पटांग बातें बोली थी। सब्सिडीज के खिलाफ जो मल्टी नेशनल कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे देश में आ रही हैं या हमारे मालिक लोग जो हमको कर्जा देते हैं विदेशी लोग, वह कहते हैं कि आप सब्सिडीज वाला सिलसिला बन्द कर दें। लेकिन यह सब्सिडी का सिलसिला दिया क्यों जाता है? सब्सिडी की जरूरत क्यों पड़ा करती है? समाज में जो कोई भी आदमी कमजोर होता है उसको खास मदद दी जाती है। बाज़ार में जो कोई पैदावार कमजोर होगी उसको खास मदद दी जाती है वरन् वह बाज़ार में टिक नहीं सकती है। लोहे के मुकाबले में गेहूं टिक नहीं सकता, कागज़ के मुकाबले में टमाटर टिक नहीं सकता है। टमाटर बोलने वाले को, गेहूं बोलने वाले को अगर खास मदद दी जाती है तो यह सिद्धांत सामाजिक न्याय का कहलाता है। समाज के दलितों, पिछड़ों को मंडल कमीशन के जरिये अगर ज्यादा जगह दी जाती है तो इसलिए कि सामाजिक न्याय कहलाता है। उसी तरह से आर्थिक सामाजिक न्याय होता है उसमें जो कमजोर चीज़ होगी उसे ज्यादा मदद देनी पड़ेगी। जो मजबूत चीज़ पैदा होती है मजबूत चीज़ और कमजोर चीज़ अगर नाटक है तो यह जितने बड़े कारखाने लोगों ने खोले हैं इनमें 80 प्रतिशत, 75 प्रतिशत बैंक के कर्ज से खोले हैं। कहते हैं 25 प्रतिशत अपनी पूंजी लगाई है। लगाई है या नहीं लगाई है, इस पर बहस हो सकती है। 15-20 साल के बाद वह सारा कर्ज वापिस कर देते हैं और करोड़ों के मालिक बन जाते हैं चाहे वह बिड़ला परिवार हो या टाटा परिवार हो या कोई और परिवार हो। किसान अगर कर्ज लेता है, 10 हजार, 20 हजार का ट्रेक्टर, खाद या बीज खरीदता है तो 20 साल तक वह दे नहीं पाता। उसके बैल कुर्क हो गये, घर उजड़ गया, ट्रेक्टर बिक गया, उठा लिया गया क्योंकि वह किश्त नहीं दे पाता है। इसका कारण यह है कि किसान जो पैदा कर रहा है उसका दाम उसको नहीं मिल रहा है। जो सामान वह खरीदने जा रहा है उसके खरीदने की उसकी हैसियत नहीं है। गांव का जो बाज़ार लगता है उन बाजारों में कपड़ा नहीं बिका करता है। बढ़िया किस्म का अगर कोई टेरीकोट का खरीदना चाहे और अपनी बीबी के लिए गार्डन साड़ी ले जा करके दुकानदार लगा दे तो 20 साल तक भी दुकान पर वह गार्डन साड़ी रह जाएगी, कोई किसान नहीं खरीद पाएगा। वह मारकीन का कपड़ा ही अपने परिवार के लिए खरीदता है। दवा नहीं खरीद पाएगा। होम्योपैथ की दवा

लेगा। अस्पताल में जाकर कहता है कि हमारा बच्चा बीमार है। इसके लिए अनन्त राम जी कह रहे थे कि उनकी दवा के लिए इस कृषि नीति में अलग से इंतजाम किया जाए। वह आपकी दवाई लेगा कहां से। कितनी महंगी दवाइयां हैं, इसका हिसाब नहीं। गांव के बाजार उजड़ रहे हैं। गांव पर आधारित जितने बाजार हैं, उजड़ रहे हैं क्योंकि किसान की परचेसिंग कैपेसिटी नहीं है जिसको कहते हैं खरीददारी की ताकत। उसकी जेब में पैसा ही नहीं है। खरीदेगा कहां से। बाजार उदास रहते हैं। तो बाजार में बसने वाले लोगों से भी हम कहते हैं कि अगर गुलज़ार बनाना चाहते हो तो इसका दाम तो वाजिब लगाओ। हम नहीं कहते कि जिस हिसाब से लोहे का दाम बढ़ाने के लिए टाटा अपनी मर्जी से डिक्लेशन देता है, किसान का डिक्लेशन भी आप सुनें। लेकिन क्या वह लगातार घाटे में ही चलेगा। आज तक खेती से जो कोई भी पैदावार हुई है उसका दाम लगातार घाटे पर तय हुआ है। उसकी मेहनत, मजुरी, पूंजी सब छोड़ देंगे। होटल चलाने वाले, कारखाने चलाने वाले किस तरह से मुनाफा कमाया करते हैं। एक रुपए के सामान को कभी-कभी दस रुपए में वे बाजार में बेचा करते हैं, कभी-कभी तो सौ सैकड़े और दो सौ सैकड़े में। मुनाफाखोरी की यह प्रवृत्ति है और इस प्रवृत्ति के रहते किसान को मुक्त नहीं कराया जा सकता है। तब उसको खास किस्म की राहत देनी पड़ेगी। दुनिया उंगली उठाएगी, लोग कहेंगे कि यह देश उजड़ जाएगा। उजड़ जाने देना होगा। वह कोई पार्लियामेंट का मेम्बर नहीं है लेकिन एक साधु है जय गुरुदेव, अभी उसने एक मेला किया था। उस मेले में उसने लिखा था कि किसानों को जो कर्ज दिया जाता है उस कर्ज का सूद उससे न लिया जाए। कभी-कभी साधु फकीर किस्म के लोग अच्छी-अच्छी बातें कहते हैं। मुझको बड़ा अच्छा लगा। हम लोग कहते हैं कि छोटे किसानों का कर्ज माफ कर दीजिए। किसी जमाने में हम लोगों के नेता डा० लोहिया हमको पढ़ाया करते थे कि जिस खेती में कोई लाभ नहीं है उस पर लगान नहीं लगना चाहिए। वे कहते थे कि इन्कम टैक्स में एक खास सीमा है, वहां तक अगर आदमी की आमदनी होती है तो माना जाता है कि खा-खर्च करके कुछ बचता नहीं है। इसलिए टैक्स नहीं लगता है। कल्याणकारी राज्य का यह नियम है। उसके ऊपर आमदनी होती है तब टैक्स लगता है। वैसे ही अगर किसान के पास दो चार एकड़ भूमि पर कोई मुनाफा नहीं है, जिंदगी भर कमाई करने के बाद परिवार के साथ तो उस पर लगान लगाने के कोई मायने नहीं होते हैं। वैसे ही उसका जो उत्पादन है वह बाजार के

उत्पादन का मुकाबला नहीं करता। तो उसको ज्यादा सहायित्व देनी पड़ेगी। क्या-क्या सहायित्व दे जा सकती हैं इसके लिए बलराम जाखड़ जी कभी भी बैठेंगे, सदन में यह बहस नहीं हो सकती। कर्ज की माफ़ी और सूद की माफ़ी भी हो सकती है तथा और भी विशेष सहायताएं हो सकती हैं। देश में जो खेती की जमीन है उसमें आज भी दो तिहाई जमीन ऐसी है जो भगवान को देखती रहती है। इसी तरह से एक तिहाई जमीन पर केवल सिंचाई का इंतजाम है। दो तिहाई जमीन केवल आसमान देखती रहती है। आजकल मानसून नहीं आया है। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। आगे 15 दिनों के बाद। इस पर अगर बहस छिड़ेगी तो कोई कहेगा, अभी क्यों सूखे के लिए चिल्ला रहे हो। कोई मंत्री बोल देगा। लेकिन यह सच है कि हिंदुस्तान का किसान अब भी प्रकृति पर मुनहसिर करता है और युगों-युगों तक करता रहेगा क्योंकि यहां की प्रकृति खूबसूरत है। इसलिए मुनहसिर करता है। किसी इलाके में बाढ़ आती है, किसी इलाके में पानी बरसता है। वह प्रकृति से खेलता है लेकिन उसके चेहरे पर उदासी है। कृषि मंत्रालय योजना आयोग से, वित्त मंत्रालय से सम्पर्क करके क्या कोई ऐसी योजना बना सकता है कि इस देश में सम्पूर्ण सिंचाई का इंतजाम हो जाए, जितनी जमीन खेती के लायक है सबकी सिंचाई का इंतजाम हो जाए या यह केवल सपने की बात रह जाएगी। अगर यह कृषि नीति इस तरह की किसी योजना की चर्चा नहीं करती है तो हम मानकर चलेंगे कि गांव का किसान केवल सपने देखता रहेगा कि उसके खेत में भी उसके मनचाहे समय पर कभी पानी मिलेगा। दूसरी बात उपसभाध्यक्ष जी जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वह है कि बहुत सी जमीन है जो खेती लायक होने के बावजूद भी खेती के लिए उपयोगी नहीं हो पा रही है। उसमें क्षाण आ गया। वह ऊसर है। यह मिट्टी के रोग हुआ करते हैं। जैसे हमारे शरीर में रोग होता है तो खुजली हो जाती है, अपरस हो जाता है। वैसी ही कुछ मिट्टी के रोग हुआ करते हैं। उसको ठीक किया जा सकता है। क्या उसको ठीक करने के लिए कृषि मंत्रालय की तरफ से यह एलान इस कृषि नीति में नहीं किया जा सकता कि व्यापक पैमाने पर एक बहुत बड़ी भूमि सेना गठित की जाए। समाज के जो दलित लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, कमजोर लोग हैं, पढ़े-लिखे हैं, रोजगार नहीं पा सके हैं, पलटन के लोग हैं, रिटायर कर गए हैं, उनके बच्चे हैं, स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिए, उनके बच्चे गरीब हैं, ऐसा कोई भी एक ढांचा खड़ा करके और जो कोई भी जमीन ऊसर-परती है वह उन लोगों को दे दी जाए एक

खास रकम के साथ एक लाख, दो लाख, डेढ़ लाख, 50 हजार, यह नलकूप सिंचाई, यह पाइराइट्स, यह जिप्सम तुमको खरीदने के लिए पैसा दिया जा रहा है। पांच साल मेहनत करके इस जमीन को खेती लायक बनाओ। क्या इसमें इस तरह की कोई भूमि सेना वाली योजना नहीं जोड़ी जा सकती थी? लेकिन ये बातें लगता है कि खेती दुनिया में हमेशा से उपेक्षित रही है। अब भी उपेक्षित है। किसान को अपनी बात कहनी नहीं आती। यह कारखाने का मजदूर अगर उसको पेट भर पगार न मिले तो वह गेट पर आकर हल्ला मचा सकता है। दफ्तर के बाबू अगर इनका पेट न भरे तो महंगाई बढ़ाने के लिए आंदोलन कर सकते हैं। इन वेज रिविजन के लिए वेज बोर्ड बैठाया जा सकता है। लेकिन किसान अपने दाम के रिविजन के लिए कभी आपके यहां प्रार्थना करने नहीं आता, मंत्री जी, इसलिए उसकी हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। यह राहत उसको खैरात नहीं दी जा रही है। .... (व्यवधान) यह एक सूबे की बात छोड़िए, जनरल बात कीजिए। हरियाणा हिन्दुस्तान के नक्शे पर कई सूबे हैं जिन सूबों में दो या तीन जिलों के बराबर होता है। मैं देश भर की बात कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि उसे ज्यादा रियायत दी जाए और यह रियायत कभी यह मत मान कर चलना कि किसान भिखमंगा है इसलिए मांग रहा है। किसान यह रियायत आपसे मांग रहा है जाखड़ साहब, क्योंकि वह सारे हिन्दुस्तान को रोटी खिलाता है और अपने पसीने से रोटी खिलाता है। अगर फसल बढ़िया हो जाती है तब मंत्री जी आप और आपकी सरकार कहती है कि देखो, हमारी सरकार कितनी सफल सरकार है कि फसल बढ़िया हो गई। अगर फसल सूख जाती है तब आप कहते हैं कि आसमान से इस साल पानी नहीं बरसा, मौनसून समय से नहीं आया, इन्द्र भगवान नाराज हैं। फसल बढ़िया तो नरसिंह राव की वाहवाही और फसल सूख जाए तो इन्द्र राव की निंदा। ये दोनों बातें एक साथ हैं। जिम्मेवारी दोनों लेनी पड़ेगी। सरकार के मायने नरसिंह राव की ही सरकार नहीं, और आपकी ही सरकार नहीं है, सरकार के मायने जो कोई यहां बैठा है मैं उसकी तरफ कह रहा हूं। यह तो नाम ले लिया, गलती हो गई। जो कोई बैठा होगा, हम बैठे होंगे हम अपने को भी उसमें ले रहे हैं, आपके पहले वाले लोग बैठे होंगे उनको भी लें। अब पहले वाले लोग तो गजब के लोग थे। पहले-पहल कुर्सी पर बैठे थे। नई आजादी मिली थी। खाद्यान्न की कमी हो गई तो 15 अगस्त का भाषण हुआ था। हम बच्चे थे और हमने सुना था। गल्ले की कमी है। घर में गमले में खेती करो। छत की मुंडेरों पर खेती करो।

इसके अलावा हम गद्दी पर बैठने वालों ने देश की कृषि व्यवस्था को आज तक कुछ भी नहीं दिया है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गमले की खेती से और छत की मुंडेर की खेती से हिन्दुस्तान के अभागे आदमी का पेट नहीं भरा जा सकता और न किसान को ही रहत दिलायी जा सकती है और न खेती की समस्या हल की जा सकती है। अब नए सिरे से खेती पर जो दुनिया के बाजार में हम दस्तक करने जा रहे हैं, हमारी खेती पर जो नया दबाव पड़ने जा रहा है वह ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। खेती गुलाम हो जाएगी। बहुत सी चीजें पेटेंट हो जाएंगी। खेती के मायने केवल यह नहीं होते कि हम गेहूँ पैदा करते हैं, चावल पैदा करते हैं या हम चना पैदा करते हैं या मटर पैदा करते हैं, असल चीज यह है कि हम उसमें रिसर्च कितनी करते हैं। हमारी बौद्धिक संपदा आज खतरनाक मोड़ पर जा करके फंस गई है। पूसा इन्स्टीट्यूट में खेती के लोग हैं। उनसे भी हमने बहस किया। हमने कहा कि अब तुमको रिसर्च करने की क्या प्रेरणा रहेगी? क्योंकि तुम से बढ़िया-बढ़िया किस्म के वह शंकर बीज लेकर आ रहे हैं। कार्गिल कंपनी आकर बैठ गयी है, तुम कहीं से उस का मुक़ाबला कर लोगे केवल तनख्वाह पा कर। ते ये अजीब किस्म के खतरे आ रहे हैं। हमारी खेती गुलाम होने वाली है और गुलाम खेती की कृषि नीति और उस का दस्तावेज यह नहीं हो सकता। फिर तो मनमोहन सिंह जी से, प्रधान मंत्री जी से आप को राय लेनी पड़ेगी और अगर वह बाधा डालते हैं तो उन से मुक्ति लेकर आप स्वतंत्र कृषि नीति लेकर जब जाओगे तो मेरा जैसा आदमी आप का समर्थन करेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ उपसभाध्यक्ष जी, किसानों का जो दर्द है, मैं चाहूंगा कि वर्तमान सरकार या जो भी सरकार में आता है, वह उसे समझने की कोशिश करे। उस किसान का दर्द, उस का पसीना, पसीने की कमाई का सही दाम उसे तभी मिल रहा है, अगर वह इस सब को महसूस कर सके, उसका एहसास कर सके तो जैसे कल-कारखाने में जो लोग पैदावार करते हैं और उनको मुनाफा मिल सकता है, प्रयास कर के किसी तरह से भी उनके लिए भी वह हो जाय, सब्सिडी देकर दिया जाय, उन को प्रोटेक्शन देकर दिया जाय — किसी भी तरह से उन को मुनाफे लायक दाम मिल सके ताकि वह बाजार के लोगों के मुक़ाबले में आकर खड़ा हो सके धन्यवाद।

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra):  
After hearing the hon. Member, I am reminded of a poem which I composed before Independence.

“शोते शरीर भाला भोके, पोषहीन लहनु धारे,  
तोए हडले खेते जाए, रे खेड़ते कोने काजे।  
तड़के भड़के, खातर कड़के, पग एना अंगारे  
दाजे, तोए हडले खेते जाए, रे खेड़ते कोने काजे।  
वर्षा मिजवी सर्दी आने, ताड़ियो भादखे पीड़े,  
तोए हडले खेते जाए, रे खेड़ते कोने काजे।  
सरकार ने साहूकार काजे।”

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल): बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री भूपेन्द्र सिंह मान। आप लोग समय का ध्यान रखें इतना ही मेरा निवेदन है क्योंकि भाषण बहुत अच्छे हो रहे हैं और मैं बीच में टोकूंगा नहीं इसलिए आप स्वयं नियंत्रण रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री भूपेन्द्र सिंह मान (पंजाब): सभापति जी, बहुत सालों के बाद, आज़ादी की आधी सदी के करीब बीत जाने के बाद अब कृषि नीति लाने की ज़रूरत महसूस हुई है। मुझे लगता है कि दूध का जला, छाछ भी फूक-फूक कर पीता है। महोदय, हम ने 50 साल उन महारथियों के नेतृत्व में गुजारे हैं जो देश के महान नेता कहलाते थे, मुझे लगता है कि उन को कभी इस बात की ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि हमें कृषि नीति भी चाहिए। मुझे लगता है कि इन सालों में इस सिस्टम के अंतर्गत कृषि नीति के बिना कृषि का कच्चा माल लेकर कारखानों को बढ़ाने के लिए उन की नीति थी। अब लिबरलाइजेशन की बात आ रही है, खुलेपन की बात आ रही है, किसानों को इस सिस्टम में जो बंधुआ बनाकर रखा था, उससे छुड़ाने की बात आ रही है तो इस सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए कृषि नीति के तौर पर इसी बात को चालू रखा जा रहा है, ऐसी चिंता मुझे नजर आ रही है।

महोदय, किसान को देश की रीढ़ की हड्डी कहा गया है, किसान को अन्नदाता कहा गया है, लेकिन यहाँ मुझे एक पंजाबी कवि की कही बात याद आती है जिसका मैं हिंदी अनुवाद सुनना चाहूंगा क्योंकि पंजाबी में मेरे मित्र समझ नहीं पाएंगे। उस कवि ने कहा था कि—

“राजे से भिखारी ठीक, खैर तेरी मनाते हैं अंदर  
से पर सच्ची पूछें तेरा कोई यार नहीं,  
तेरी ही बोटियों पर पलते हैं सभी, कोई तरस  
खाने वाले तेरे पर तैयार नहीं।”

तो आज इतने सालों बाद भी हमारे लिए वही नीति चल रही है। आज नोबल ऑक्युपेशन का शब्द देकर या सेंटर टू ऑल स्ट्रेटजी का शब्द देकर मुझे लगता है कि ऐसे ही सलाह ना देने की बात कही गयी है। इससे

ज्यादा मुझे और कुछ नजर नहीं आता है। इस नीति में 17 चले-जेब का उल्लेख किया गया है, इनमें खेती की पैदावार को बढ़ाना ताकि काफी अनाज उपलब्ध हो, जमीन की भट रही शक्ति को ठीक करना ताकि खेती लाभ का घंघा बन सके, अंडर एंप्लायमेंट, अनएंप्लायमेंट को दूर करना और वेल्यु एडिशन को बढ़ाना। इनके बारे में इसमें उल्लेख है।

महोदय, इसमें कोपरेटिव को डेमोक्रेटाइज करने की बात कही गई है। जो मैं देख रहा हूँ, कानूनी तौर पर आज भी कोपरेटिव डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है। कोपरेटिव का कानून है, लेकिन उसको ठीक ढंग से चलने नहीं दिया गया। आज इतने सालों के बाद हमें यह जरूरत महसूस हो रही है कि हमको कोपरेटिव को ठीक तरह से चलाना है और इसलिए इसको डेमोक्रेटाइज करना चाहिए। यह तो टेढ़े देने की दिशा इसमें नजर आती है।

एग्रीकल्चर में रिसर्च की बात है, तो साइंटिफिक रिसर्च की हमें जरूरत है और यह हमेशा बढ़ती रही है, यह पहले से बढ़ती है। बाहर दूसरे मुल्कों से हम साइंटिफिक रिसर्च के लिए अपने आदमी भेजते रहे हैं। अच्छे साइंटिस्ट हमारे पास हैं। हमें उन पर फख है। उस साइंटिफिक रिसर्च को कैसे हमें बढ़ाना चाहिए, कैसे उसको किसान तक पहुंचाना है, इसके बारे में विचार जरूरी है। अगर उस रिसर्च में किसान का अपना इंटेरेस्ट नहीं है तो वह उसे ले नहीं पाएगा। इसी तरह एग्रीगेशन का, एग्री फरेस्टरी का, कंजरवेशन का है।

महोदय, इन 17 चले-जेब में सबसे लास्ट में है कोन्स्ट्रिक्टिंग द टर्मस आफ ट्रेड। मैं समझता हूँ कि यह टर्मस आफ ट्रेड आज तक ठीक नहीं कर सके हैं। मिसाल के तौर पर पंजाब में 1984 में किसानों ने एजभवन का सात दिन के लिए पीसफुली धेराव किया था। उसके परिणामस्वरूप एक जोहन कमेटी बनी थी। एस०एस० जोहन, जो एक रिनाउण्ड साइंटिस्ट थे, अर्थ विज्ञानी थे, उनकी अध्यक्षता में यह कमेटी बनी। उन्होंने उस कमेटी में यह माना कि टर्मस आफ ट्रेड किसान के फेवर् में नहीं है, एडवर्स चल रही है। उस वक्त की उनकी रिपोर्ट के अनुसार एक ट्रेक्टर जो 166 क्विंटल गेहूँ के बराबर था, वही ट्रेक्टर आज 628 क्विंटल गेहूँ के बराबर है अर्थात् 166 क्विंटल गेहूँ जहां एक ट्रेक्टर खरीदता था, वहीं जबकि गेहूँ के ऊपर खर्चा बढ़ा है, डीजल का खर्चा बढ़ा है, बिजली का खर्चा बढ़ा है, दवाइयों का खर्चा बढ़ा है और सभी लेबर कंपोनेंट बढ़ गए हैं, लेकिन वही ट्रेक्टर खरीदने के लिए 628 क्विंटल गेहूँ देना पड़ता है। ऐसे ही 100 लीटर डीजल सन्

1966-67 में 92 किलो गेहूँ देकर आता था, आज वही डीजल 200 किलो गेहूँ देकर खरीदना पड़ता है। ऐसे ही छोटी बात लें, तो माचिस की एक डिबिया जो उस समय 50 ग्राम गेहूँ से आती थी आज वही 140 ग्राम से आती है। तो यह जो टर्मस आफ ट्रेड है, यह किसान एडवर्सली एफेक्ट कर रहा है। इस बात को देखते हुए मुझे एक शेर याद आता है—

एक चाक हो तो सी लूं या रब गोवां अपना।  
जातिम ने फाड़ डाला है तार तार करके।।

मैडम, देखने में तो एट द फेस आफ इट यह खेती नीति अच्छी लगती है क्योंकि कोई खेती की बात करे तो हमें अच्छी लगती है, लेकिन मैं देखने की बात नहीं करता, मैं तो मन की बात देखना चाहता हूँ। एट द फेस आफ इट की जगह एट द माइंड आफ इट होना चाहिए। मुझे लगता है, मुझे डर है कि मैं इसका समर्थन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसके ऊपर मुझे अंदरों हैं, जो मैं व्यक्त कर रहा हूँ। अभी वही नीति जो पहले गेहूँ के कम भाव दूसरी फसलों के मुकाबले में देने की थी, उसी को मानकर आगे बढ़ने के हिसाब से ही इसमें जो उल्लेख किए गए हैं वे इतने वेग हैं, क्लीअर नहीं किए गए हैं और उसमें यह लगता है कि किसान इतने सालों से जो इससे पीड़ित हैं, वह उससे आगे लाभ भी नहीं उठा सकेगा क्योंकि किसान की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को, इंडस्ट्री का रॉ-मैटीरियल जो बनाता है या इंडस्ट्री की लेबर के लिए जो रॉ-मैटीरियल बनाता है, उसको कच्चा माल सस्ता देने की नीति, चाहे यहां कुछ मित्र कई बार यह कहते हैं कि किसान जो ढाई एकड़, एक एकड़, दो एकड़ में जो रात-दिन मेहनत करके अपनी कमाई करता है, फिर भी उसको पूरा नहीं पड़ता, उसको कुल्हक का नाम देने की भी कई बार, इंडस्ट्रियल हाउसिस की नुमाइंदगी करने वाले लोग, कोशिश करते हैं। लेकिन हमें इस दिशा में यह देखना होगा कि उतनी देर तक, जितनी देर तक खेती में केपिटल जनरेशन खेत के मालिक के हाथ में नहीं जाएगी, उतनी देर तक वह खेती की पैदावार को आगे बढ़ा नहीं पाएगा। इसलिए आज तक यह महसूस किया जाता रहा है कि गांव खेती की उपज पैदा करता है—गेहूँ पैदा करता है, धान पैदा करता है या और खेती की फसलें पैदा करता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक गांव में कुछ खाद, कुछ बिजली, कुछ दवाई, कुछ ट्रेक्टर, कुछ फसल, ये जाकर वहां रख दें तो इससे कुछ खेती या फसल पैदा होने वाली नहीं है। यह सारा कुछ तो गांव के बाहर का है। तो गांव ने उसमें क्या डाला। यह तो सारा बाहर का है? अगर एक

यूनिट ले लिया जाए तो यह एक फॉरेन है उसका। तो गांव ने जो उसमें पैदा किया वह है उसकी तकनीक, पुश्त-दर-पुश्त चली आ रही उसकी तजुबेकारी, उसकी मेहनत, उसके हाथ पर चढ़ी चंडियां, उसने वह मेहनत डालकर जो पैदा किया, अगर उसकी कीमत अच्छी तरह से, ठीक ढंग से न गिनी जाए तो उसके हाथ में कैपिटल नहीं जा सकेगा जिसका परिणाम अभी प्राप्त हुआ। यह बहुत सीरियस डिस्क्लोजर हुआ जब "गाट" का साइन करने के लिए भारत सरकार ने जिनेवा में यह डायलैक्ट पेश किया, मैं समझता हूँ बहुत शर्म की बात है देश के लिए, कि किसान की 17 फसलों के लिए जो यह कहा जाता है कि हम उनको सपोर्ट प्राइस देते हैं, वहां माना गया कि सपोर्ट प्राइस की जगह हम निगेटिव प्रोटेक्शन दे रहे हैं और वह निगेटिव प्रोटेक्शन भी 17 फसलों पर 24 हजार करोड़ का। तो इस दिशा में अगर हम देखें तो यह निगेटिव प्रोटेक्शन जो माना, वह उन दिनों में माना जब खेती में लाभप्रद कही जाने वाली फसलों के दाम देने की बात चल रही है और उसी बात को आगे बढ़ाने के लिए इस नीति में कहा गया है कि यही नीति फसलों के दाम लाभप्रद दिए जाने के लिए अच्छी तरह से लागू की जाएगी। क्या यही अच्छी तरह से लागू होने वाली बात है जो निगेटिव प्रोटेक्शन के हिसाब से चल रही है? जैसे एक मिसाल बहुत धिनौनी सामने आती है कपास की। सरकार ने माना दुनिया की सभा में, दुनिया की पंचायत में, जहां 118 मुल्कों की पंचायत बैठी थी, वहां हमारी सरकार ने माना कि कपास यहां का किसान जो पैदा करता है, अगर उसको हम मंडी में बेचने देते तो वह 17,570 रुपए की बिकती लेकिन उसी कपास को हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस का नाम देकर उसके ऊपर ऐहसान किया और उस कपास को उसे 5,333 रुपए में बेचने के लिए मजबूर किया। एक टन कपास के 12,000 रुपए दबाकर रख लेना, रोक कर रख लेना, अगर इसी बात को रिमूनरेटिव प्राइसिस देने की बात कहना है तो मुझे इससे डर लगता है। अगर इसी तरह रिमूनरेटिव प्राइस देने की बात कहनी है तो मुझे इससे डर लगता है कि यह खेती नीति हमें कुछ देने के बजाय आगे कुछ नुकसान करेगी और इसमें देश का भी नुकसान होगा। इसलिए जो यहां कहा जाता है कि इनको सब्सडी है, सरकार जब अंदर बैठती है तो उसको पता है कि हम सब्सडी नहीं दे रहे हैं। सब्सडी का प्रचार टी-वी पर होता है, रेडियो पर होता है तथा डिपार्टमेंट भी करते हैं। लेकिन वास्तव में सब्सडी की बात यह खुले तौर पर नंगी हो गई कि जब यह माना गया कि सब्सडी की जगह निगेटिव प्रोटेक्शन है और यह इतनी

ज्यादा निगेटिव है कि बर्दास्त नहीं की जा सकती। तो इसलिए अगर किसान को जब इस समय बाकी सारी चीजें लिबरेट की जा रही हैं तो मुझे इस बात की कोई तुक नजर नहीं आती कि किसान को लेटेस्ट टेक्नोलोजी एडोप्ट करने के ऊपर क्यों रोक लगाई जाए? अगर किसी को मलेरिया बुखार हो गया तो यह कहने वाला कौन होता है कि आपको कुनेन के बजाय तुलसी का पत्ता ही लेना पड़ेगा। अगर उसकी जेब में पैसा है तथा डाक्टर कुनेन की सलाह देता है तो उसको कुनेन लेने की इजाजत होनी चाहिए। अगर किसान यह चाहता है कि उसने गन्ना पैदा किया है तथा वह खुद उसकी चीनी बनाना चाहता है तो उसको क्यों मजबूर किया जाए कि वह कच्चे बर्तन में, ओपन पेन में ही इसको कर सकता है। क्लोज्ड पेन जो लेटेस्ट टेक्नोलोजी है जो वैक्यूम पेन सिस्टम है वह उससे नहीं कर सकता है। बात तो सिर्फ इतनी है और इससे कितना-कितना घोटाला सामने आता है। अभी कई जगह देखने में आया कि कुछ शुगर मिलें डयर-उधर ट्रांसफर हुई। कितने-कितने में लाइसेंस बिकते हैं। अभी वोहरा कमेटी की रिपोर्ट आई है। इसी सारी लूट-खसोट का यह सारा धंधा चल रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि किसान को जब लिबरेट करने की बात आती है तो क्यों हर एक को पसीना आ जाता है और किसान को कहते हैं कि लिबरेट नहीं होना। अगर सब्सडी गन्ना मिलों को दी जाती है तो जिनेवा में जो रिपोर्ट दी गई, उसमें माना है कि यह मिलों की इनफिशिएंसी को जाती है, बिजली बोर्ड को अगर सब्सडी जाती है, इनफिशिएंसी को जाती है। खाद के कारखानों को अगर सब्सडी जाती है तो किसान का नाम बताकर वह सब्सडी उसकी इनफिशिएंसी को जाती है। तो उन की इनफिशिएंसी को हम कितनी देर तक सहन कर पाएंगे? तो मुझे लगता है कि सब्सडी देना किसी मगरमच्छ के आंखू की तरह न हो और ऐसा न हो कि:

"हमदर्दी में यह जान भी लेकर चलते हैं,

इन जालिम हमदर्दी से जान छुड़ाना सहज नहीं।"

कैपिटल फार्मेशन जो गांवों में पैदा होती है उसमें असल लेबर कम्पोजेड है। एथ्रीकल्टर कास्ट एंड प्राइस कमीशन उसके टर्म्स आफ ट्रेड जो इस वक्त यह है कि वह किसान का हक देखने के बजाय किसान की कास्ट आफ प्रोडक्शन देखने के बजाय कुछ और बातें हैं जिसको वह देखने की बात करेगा। मैं समझता हूँ अगर फसल की कीमत तय करनी है तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में होनी चाहिए और वह मिनिमम होनी चाहिए और उसके आगे अगर वह बेच सके तो बेचे। यह नहीं कि फसल ज्यादा हो गई तो कहते हैं कि जहां उसकी मरजी है वह उसको

बेचले और अगर फसल कम हो गई तो सरकार ने रेकना शुरू कर दिया कि हमको तो पूरी लेनी ही लेनी है। तो यह सिस्टम जो हर वक्त किसान के विरोध में है, बंद होना चाहिए। कोआपरेटिव, जो इकोनोमिकली वायबल है उनको ठीक करने की बात इसमें कही गई है। मैं समझता हूँ कि कुछ किसानों ने, कुछ शेयर्स होल्डर्स ने एक सोसायटी बनाई और वह काम करते हैं। अगर वह वायबल हो तो खुद चलेंगे ही चलेंगे। तो इसमें आज तक जो होता रहा है, सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को इसमें हस्तक्षेप होता रहा है। तो इसमें सिर्फ यह कहा जाए कि किसी सरकारी कर्मचारी को कोआपरेटिव में हस्तक्षेप नहीं करने दिया जाएगा तो मेरा ख्याल है कि इससे मसला हल हो सकता है। ऐसे ही जो किसी को बढ़िया कानून बना कर देने होते हैं कि किसान के लिए हम बहुत अच्छा करेंगे, उसके लिए अगर हम यही कह दें कि किसान के रास्ते की रुकावटें खड़ी करनी बंद कर देंगे तो मैं समझता हूँ कि खेती नीति में एकमात्र यही कह दें तो इसमें सारा कुछ आ जाता है। आज तक किसान के संबंध में जो कुछ किया गया, वह किसान के रास्ते में रुकावटें खड़ी करके, उसको रास्ते में ठिप्पी लगा कर, उसको गिरा कर, उसको मजबूर करके ही वह कम दाम पर बेचे और उसके हाथ में पैसा नहीं आने दे ताकि इसके हाथ में अगर पैसा आएगा तो वह खुद कहीं दो दिन के लिए स्टोर न कर सके। तो यह प्रोडक्शन रोकने वाली बात है। देश के हित में प्रोडक्शन बढ़ना होता है, देश के हित में प्रोडक्शन रोकना नहीं होता है। जो पैदा करने वाले हैं अगर उसकी पैदावार बढ़ाने की शक्ति बढ़ाएंगे तो देश आगे बढ़ सकता है। तो आज तक जॉन कमेटी रिपोर्ट में जो कैपिटल हमारा कम होता रहा, उसके बारे में भी इसमें कहा गया कि सन् 1970-71 में जो रीयल टर्म्स ऑफ ट्रेड, गेहूँ की कीमत में पंद्रह रुपए उसकी मेहनत के उसके हाथ में आते थे और रीयल टर्म्स में 1983-84 में सिर्फ दो रुपए उसके हाथ में आने लगे उसकी मेहनत के और 1994-95 में अगर इस तरह से चलें तो पता नहीं क्या होगा? तो मैं आखिर में यह कहना चाहूंगा कि यहां दिल्ली की मंडी में, जैसे सब्जी मंडियों का हाल है, खास तौर से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि दिल्ली की मंडी में इस वक्त जो किसान आता है, उसका बहुत बुरी तरह से गला काटा जाता है। कितने, पांच परसेंट या उससे भी ज्यादा तो कमीशन की बात होती है, दुनिया में ऐसा कहाँ है? इस तरह से फिर हाथ अंदर रख कर बोली करना, बहुत बुरी तरह से लूटपाट की जाती है।

खेती मंत्रालय का किसान की पैदा की हुई चीज़ पर

मंडी में कंट्रोल नहीं है। कई बार हमने मंत्री जी को कहा कि मंडी में कुछ करो, वे कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि कंट्रोल उनके हाथ में नहीं है। पानी का कहते हैं कि उनके हाथ में कंट्रोल नहीं है, बिजली का कहते हैं कि उनके हाथ में नहीं है। जो और खाद है, उनके हाथ में नहीं है, मशीनरी उनके हाथ में नहीं है। आज भी दुनिया की मंडी में यहां के जो कारखानेदार हैं, उनका हमें क्या ब्योरा है अगर वे हमें लूटते हैं तो? अगर उनको कंपीटीशन करने के लिए अच्छा माल देने की मजबूरी खड़ी हो तो मैं समझता हूँ कि यह सारा कुछ इस मंत्रालय में आना चाहिए।

आखिर में, यह जो सुपरफाइन और ये जो वैराइटीज़ की कई बार बात होती है, जैसे पूसा 44 है, वह सुपरफाइन मानी जाती रही लेकिन.....

**उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल) :** माननीय सदस्य समाप्त करें।

**श्री भूपेन्द्र सिंह मान :** पिछले साल किसानों की उसमें बहुत लूटपाट हुई, वह नहीं मानी गई। ऐसी चीज़ें आगे नहीं होनी चाहिए, ये बंद होनी चाहिए। इसी बात को खत्म करते हुए मैं ये ड्रिप इरिगेशन ग्रीन हाउसेज, ये सारा कुछ अच्छा है, किसान को वायबल होना चाहिए। अगर उसको लाभप्रद होगा तो ही वह ले सकेगा। लैंड सीलिंग में आखिर में मैं बहुत शॉर्ट में कह रहा हूँ सर।

**उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल) :** सरदार जी, देखिए समय को देखिए। मंत्री जी को जवाब देना है। चार बजे दूसरा आइटम आना है।

**श्री भूपेन्द्र सिंह मान :** एक से भी कम मिनट में समाप्त कर दूंगा।

**उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल) :** मैंने आपको डबल टाइम दे दिया है।

**श्री भूपेन्द्र सिंह मान :** लैंड सीलिंग किसान के ऊपर है। जब इंडस्ट्री के ऊपर कोई सीलिंग नहीं है तो किसान के काम करने के ऊपर यह जो सीलिंग है, यह किसान के साथ अन्याय है और देश के साथ भी धोखा है, यह बंद होना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आखिर में मैं आपका धन्यवाद करते हुए आप सभी का धन्यवाद करता हूँ।

**श्री एस० एस० सुरजेवाला (हरियाणा) :** उपसभाध्यक्ष महोदय.....

**उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल) :** आप बोल सकते हैं लेकिन मैं क्या करूँ? सुरजेवाला जी, मैं चाहता



हूँ पर मैं क्या करूँ, बताइए। या तो मंत्री जी कल जवाब दें क्योंकि चार बजे दूसरा आइटम लेना पड़ेगा। अब मैं जनेश्वर मिश्र जी को कैसे रोकता, सरदार जी को कैसे रोकता? पाँच मिनट का टाइम है और बीस-बीस, पच्चीस-पच्चीस मिनट बोले हैं। वह अच्छी बात है।

श्री जनेश्वर मिश्र: हम तो बहुत कम बोले सर।

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अभ्यवाल): अच्छे और रुचिकर भाषण थे, ज्ञानवर्धक थे, मैं भी रोकना नहीं चाहता था। अब क्या करें, बताइए। आपका समय तो, कैसे ही आपकी पार्टी का समय समाप्त हो गया। अब आप बोलेंगे तो दो मिनट में तो बोला नहीं जाता कुछ भी। अब श्री जयन्त राय जी रह गए हैं, उस समय नहीं थे। आप जरा पाँच मिनट में समाप्त कर देंगे। मैं आपका आभारी रहूँगा।

SHRI JOYANTA ROY (West Bengal): Hon. Vice-Chairman Sir the day before yesterday, the hon. Minister of Agriculture at the time of moving this Resolution, said that agriculture was a State subject that naturally the States should make appropriate efforts to develop agriculture and that the Government of India would only supplement the efforts of the State Governments. I will cite just a single instance so that everybody will know what he means by Central supplement.

Sir, in 1959, in a small area of the district of Darjeeling of West Bengal the Central Agriculture Department imposed a ban on movement of table and seed potatoes of West Bengal to other States. After that 35 years have passed but that ban has not been revoked. This is Central supplement! You cannot imagine that nowadays West Bengal is producing more than 15 lakh tonnes of potatoes. We have got only 30 lakh tonnes of storage capacity. Because of this ban order we are unable to export our potatoes to other States. In 1993 our Chief Minister asked the Prime Minister in a meeting to lift this ban. The PM subsequently assured our Chief Minister that it would be done very shortly. Two years have passed but till date that ban has not been revoked. This is the actual

position of Central assistance or Central supplement etc.

As regards this Resolution. I strongly oppose this Resolution because it is a profit—and export-oriented Resolution. It does not benefit the poor people of our country. Until and unless we mobilise our entire resources for land reforms for our poor people and until and unless we make an irrigation and power network throughout the country no benefit can reach the poor people who are living below the poverty-line.

Sir in this Resolution there is no provision for price-protection to the poor peasantry.

In the name of credit facilities our Minister has proposed enactment of further co-operative laws to remove the State control over co-operative societies. This is very unfortunate.

Though some proposals have been made in this Resolution about development of marketing infrastructure in the country no provision has been made in this Resolution for soil conservation and comprehensive crop insurance taking village as the unit. So, I would request the Minister of Agriculture, through you, that these points should be included in this Resolution so that it can help the poor peasantry and poor cultivators of our country. That is all.

श्री नरेश यादव (बिहार): आप से एक निवेदन है कि दूसरे पृष्ठ पर पांचवी लाइन में बागवानी और डेरी आदि के बाद "मखाना" शब्द जोड़ दीजिए जो पानी के नीचे होता है।

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़): उपसभाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद हमारे माननीय सदस्यों का भी है जिन्होंने इसमें भाग लिया। कल से नहीं परसें से हम इस पर बहस कर रहे हैं। मैं चाहता था, मेरी इच्छा थी कि मेरे साथी जो इस पर बोले, यहाँ पर उपस्थित रहते। माननीय सदस्य जो बोले हैं उनमें से आधे ही नजर आ रहे हैं, मैं जवाब किस को दूँ।

श्री जनेश्वर मिश्र: वह रिकार्ड में जायेगा।

**श्री बलराम जाखड़:** मैं चाहता था, मेरी इच्छा थी कि अच्छा होता अगर वे यहां उपस्थित होते। सवाल यह पैदा होता है कि जो पालिसी बनाई गई है वह प्रगति के लिए, भलाई के लिए बनाई गई है। मैंने सारे सदन के सामने विनती की थी कि यह कोई मेरी पालिसी नहीं है, यह किसी एक पार्टी की पालिसी नहीं है। किसान के हित में यह बनाई गई है और इसमें जो भी सुधार आप करना चाहते हैं मुझे वह मान्य है। मैं अपने लिये नहीं कर रहा हूं, न इसमें मेरा कोई मतभेद है, न इससे मेरा कोई इगो है। मैं सर्वज्ञता तो हूं नहीं और न कोई होता है। त्रुटि हरेक में होती है। एक इच्छा शक्ति होती है काम करने की। मेरी लगन थी, मेरी इच्छा थी कि मैं कुछ करने की चेष्टा करूं जिससे भला हो सके। मैं चाहता हूं साफ काम अच्छी तरह से हो इस हिसाब से मैंने यह आपके सामने रखा था। जितनी भी बातें हमारे माननीय सदस्यों ने रखी हैं उनमें मैंने नोट किया है। जो उत्तम बातें हैं मैं उसमें एड भी कर दूंगा। लेकिन मुझे खेद है कि हमारा कुछ निराशात्मक दृष्टिकोण हो गया है, पता नहीं क्यों। जायसवाल जी का मैं बहुत आदर करता हूं लेकिन आपने निराशा पैदा कर दी। अगर मैं आगे नहीं चलूंगा, यहां से कलकत्ता के लिए प्रस्थान नहीं करूंगा तो कलकत्ता कैसे पहुंचूंगा।

**श्रीमती भीरा दास (उड़ीसा):** समय बहुत कम है।

**श्री बलराम जाखड़:** आप इसमें सहायता देंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। मैं मानता हूं कि मेरे पास कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं, किसी के पास नहीं है जो पांच मिनट में सब कुछ कर दूं। अगर ऐसा होता तो ये सब बातें पहले ही हो जातीं। मेरे मन में बहुत इच्छा है मैं कुछ कर सकूं। मुझे कर्मठ आदमियों की जरूरत है, मुझे भूमि सेना की आवश्यकता है लेकिन इसके लिए बहुत कुछ जुटाना होगा। आगे बढ़ना होगा। यह कार्य आरम्भ करेंगे तभी आगे बढ़ सकेंगे। निराशा की कोई बात नहीं है। मैं आशावादी हूं। जो हम करना चाहते हैं वह किसान के हित के लिए है। उसी हिसाब से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मिश्र जी आपने एक बात कही थी। आपके दिल में जो पीड़ा है मैं भी आपकी जगह खड़े होकर बोलता तो मैं भी यही कहता और यही कहता रहा। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैंने हाथ से खेती की है, मैं डुबा रहा पसीने में। मैंने मिट्टी में सोना बनाया है। मैंने कायाकल्प की है। मैंने दिखाया है खेती कैसे हो सकती है, इसमें कैसे रखा जा सकता है। यह मिट्टी हमारी मां है मैंने उस हिसाब से समझा है। जब आपने कहा कृषि मंत्री बलराम जाखड़

सफारी सूट पहन कर बैठे हैं तो क्या एक किसान का बेटा किसानों को यह नहीं दिखा सकता कि वह भी कुछ कर सकता है। अकेले नहीं सब को पहनाना चाहता हूं। यह मेरे दिमाग में है। एक दिन वी० पी० सिंह साहब ने कहा था कृषि मंत्री सूट पहन कर बैठा है। मैंने कहा राजा महाराजाओं की अचकने तो किसी को अखरती नहीं है लेकिन किसान के बेटे का सूट अखरता है। मेरे तन-बदन में आग लग जाती है जब मैं ऐसी बात सुनता हूं। मैं किसी मजदूर और किसान में फर्क नहीं समझता हूं। किसान भी मेहनत करता है और मजदूर भी मेहनत का काम करता है। वह भी किसान है। मैं जनेश्वर मिश्र जी से कहना चाहता हूं इसलिए मैंने कभी अपना पेट नहीं बढ़ने दिया। मैंने काम किया है। कर्मठता से काम किया है। मैं आपको साबित कर सकता हूं कि मैंने कैसे काम किया है। मैंने कीर्तिमान स्थापित किये हैं और मैं चाहता हूं कि किसान के हित में कीर्तिमान स्थापित करूं। आज का किसान जाग उठा है आगे जाने के लिए। मिस्टर रायचन्द्र राव जी ने एक बात कही थी, वह बात भी मुझे अखरी। आपने कहा था कि डिसीट कर रहे हैं। मैं किसान के साथ डिसीट करूंगा? इससे पहले मैं मर नहीं जाऊंगा। किसान के साथ हम डिसीट करें — यह कहाँ की बुद्धि है कि मैं किसान के साथ धोखा करूं? सवाल ही पैदा नहीं होता है। मैं हमेशा किसान के हित की बात करता हूं। किसान के लिए लड़ सकता हूं। मैंने पार्लियामेंट में कहा था। आपने कहा था डब्ल्यू०टी०ओ० में आप नुकसान करेंगे। मैं भगवान की कसम खाता हूं मैं उस हाथ को तोड़ दूँ जो किसान के हित के खिलाफ दस्तखत करे। मुझे इस बात की परवाह नहीं, मैं भगवान से लड़ सकता हूं लेकिन किसान के हित की बात नहीं छोड़ सकता। मैं किसान को किसी भी बात से मजबूर नहीं होने देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं किसान सशक्त रहे। किसान ने जो पैदा किया है इसी पर लिब्रलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन टिकी हुई है, सरदार मनमोहन सिंह जी ने जो पालिसी चलाई है। किसान ने पैदा किया है। मैं गवर्नमेंट की बात नहीं करता हूं, मैं किसान की बात कहना चाहता हूं जिसमें मान ऊंचा किया है। उसके लिए मैं करना चाहता हूं। मैं चाहता था कि आज तक... (व्यवधान)

**DR. BIPLAB DASGUPTA (West Bengal):** There are kisans and kisans. There are very rich kisans and there are very poor kisans. (Interruptions). There are kisans with many tractors; there are kisans with buffaloes; and there are

kisans with no land....(Interruptions).  
Look at all the kisans together.

श्री बलराम जाखड़: किसान किसान है। (व्यवधान) आप समझते नहीं हैं इस बात को किसान किसान है। मजदूर भी किसान है (व्यवधान) आप तो दकियानूसी बात कर रहे हैं (व्यवधान) आपको पता नहीं है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): Please do not interrupt, Mr. Biplab. (Interruptions). Order, please. (Interruptions). Mr. Biplab, Mr. Jiboy Roy, please sit down. Mr. Pachouri, please take your seat. (Interruptions).

श्री बलराम जाखड़: मैं तो प्रगति चाहता हूँ (व्यवधान) आपने सत्यानाश कर दिया (व्यवधान) वो तो अपना देश है इसके तो बचने दो (व्यवधान) अपने देश को बचा कर रखो, (व्यवधान)

DR. BIPLAB DASGUPTA: You don't speak for all the kisans. You speak for one section of kisans. (Interruptions).

SHRI BALRAM JAKHAR: It is a misstatement. I speak for all the kisans. (Interruptions). You are mistaken.

SHRI BHUPINDER SINGH MANN: Mr. Dasgupta, you speak for industrial labour only. (Interruptions).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): Mr. Dasgupta, please sit down.

SHRI BALRAM JAKHAR: You do not know the labour. (Interruptions). I speak for every kisan whomsoever. (Interruptions).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): Mr. Dasgupta, can we carry on every discussion like this? Let him reply, please.

DR. BIPLAB DASGUPTA: Why this big talk? (Interruptions).

श्री बलराम जाखड़: इनको किसानी की परिभाषा पता ही नहीं है। (व्यवधान) जिन लोगों को पता ही नहीं है कि किसानी किस चिड़िया का नाम है वह हमें क्या बताएंगे? (व्यवधान) हमने किसानी हाथ

से की है। खेत में हल चलाया है। हम मक्का बदल देगे चाहे कोई भी अड़चन पैदा हो। (व्यवधान)

श्री नरेश यादव: आप छोटे किसानों के बारे में भी बात करो। (व्यवधान)

श्री बलराम जाखड़: बिल्कुल सब बात करेंगे (व्यवधान) हम छोटे किसान की बात करेंगे छोटे जोतदार की बात करेंगे (व्यवधान) खेत में काम करने वाले किसान की बात करेंगे। लेबर की बात करेंगे (व्यवधान) दोनों की बात करेंगे (व्यवधान) आपको गलतफहमी होगी (व्यवधान) हम अपनी बात कहेंगे। (व्यवधान) हम अपनी बात हट कर कहेंगे। हम किसी से दब कर नहीं कहना है (व्यवधान) अब तक नहीं दबे, आगे भी दबने वाले नहीं हैं (व्यवधान) आप लोगों ने जितनी भी सार्थक बातें कहीं हैं, उनको मैं डाल रहा हूँ। कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि रणबीर सिंह जी ने कहा (व्यवधान) रणबीर सिंह जी ने सारा विस्तारपूर्वक बताया कि क्या-क्या कमियाँ हैं। मुझे पता है। इसीलिए तो पालिसी बना रहा हूँ। रणबीर सिंह जी ने अपनी बातें कहीं हैं। मैं उन कमियों को जानता हूँ। उनके दूर करना चाहता हूँ और इसमें आपकी सहायता चाहता हूँ। आपका समर्थन चाहता हूँ। आपका सहयोग और उसके साथ लेकर मार्गदर्शन चाहता हूँ। सिकन्दर बख्त जी, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ। चाहे खेती करें या न करें लेकिन हमदर्दी तो है। तो करेंगे इस चीज ... (व्यवधान) इनको लेकर करना चाहते हैं।

हां, एक बात आपने कही थी। मैं आपकी बात ठीक मानता हूँ कि पल्सेज में अभी कमी है। लेकिन उसी के लिए तो पालिसी बना रहे हैं कि पल्सेज की कमी हुई है। आपने गिनती नहीं की। हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। उस दिन मैंने शुरू किया था। उस दिन भी मैंने कहा था कि हमने अपनी गिनती नहीं की है। सिर्फ पल्सेज की गिनती या उसकी नाप तौल कर ली है। हमने कितना किया है। 8 मिलियन से 10 मिलियन और इस वक्त साढ़े 14 मिलियन तक हम पहुँचे हैं। इस साल 15.5 मिलियन का हमारा लक्ष्य है। लेकिन इसमें कमी है और उस कमी को मान लेना ही अच्छी बात होती है। उसको दूर करने का प्रयत्न हमारा धर्म बनता है। उसको हम करना चाहते हैं। मैं सोयाबीन से भी दाल बनाने की चेष्टा कर रहा हूँ। वह दाल बनेगी। उसकी प्रशोन्नी हमारे पास आ गयी है। वह पौष्टिक भी होगी।

सोयाबीन का बांचा इतना बढ़िया बन गया है कि इस समय मध्य प्रदेश में मेरे ख्याल से पिछले साल के 47-48 लाख टन से भी ज्यादा इसकी उपज होगी। यह हम इसमें झलने की कोशिश करेंगे...(व्यवधान)

जो बाहर भेजने की बात किसी ने कही थी...(व्यवधान) एक बात किसी और हमारे साथी ने कही थी कि आपने दाल बाहर भेज दी, एक्सपोर्ट कर दी, यहाँ कमी है। मैंने पता किया है। ऐसी बात नहीं है। मैंने आंकड़े पता किए हैं। 10 हजार टन हमने बाहर भेजी। अपने एन० आर० आई० जो हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं जो हमारी दाल खाना पसंद करते हैं उनके लिए स्पेशल एलोकेशन है और दूसरी जो बाहर 58 हजार टन गयी है यह वह दाल है जो बाहर से मंगायी गयी, उसको प्रोसेस किया गया और फिर परमिशन से बाहर भेजी गयी जिससे उसका रूपांतरण किया जा सके। अपनी दाल कोई बाहर नहीं भेजी गयी है। इसका मैंने पता किया है। मैं इसमें भी करना चाहता हूँ कि हम कुछ करें जैसे तेल का है। हमने टेक्निकल मशीनरी बनायी है। उसका उत्पादन भी बढ़ा है। 12 से 22 मिलियन हुआ है। आज हम आत्मनिर्भर हैं। हमने उसी हिसाब से रखा है कि कोई होर्डर आकर हमें खराब न करें। इस वजह से हमने उसको कर रखा है। बाकी नीति उसको दबाकर रखने की नहीं है...(व्यवधान)

श्री जनेश्वर मिश्र: हमने कहा कि किसान जब दाल पैदा करते हैं तो 8-9 रुपए किलो बिकती और वही बाजार में 40-50 रुपए किलो है। इसको कंट्रोल करें जिससे कि किसान को भी कुछ मिले।

श्री बलराम जाखड़: मैं बताता हूँ। मैं अभी उस पर आ रहा हूँ। इसलिए मैं यह बंदोबस्त करना चाहता हूँ यह जो लोगों ने स्टोरेज की बात कही, ट्रेड करने की बात कही। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एग्जीक्यूटिव कास्ट एण्ड प्राइस कमीशन जैसे भी करे आप उसमें संशोधन रखिए मैं उसमें वे दो बातें और डाल दूंगा जो इसमें कमी रह गयी है। मैं निमिम सपोर्ट प्राइस के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि निमिम सपोर्ट प्राइस तो वह है कि किसान डिस्ट्रेस में न बेचे जिससे कि उसको कोई एक्सप्लायट न कर सके। कम से कम जिस भाव में उत्पादन करता है उससे कम भाव न ले। इसलिए करते हैं। इसका मैं आपको सबूत दे सकता हूँ। इसको आपके सामने बिल्कुल स्थापित किया जा सकता है कि अगर इस साल गेहूँ की खरीद सरकार नहीं करती निमिम सपोर्ट

प्राइस में तो वह ढाई सौ रुपए में बिकता यह मेरे पास है। आज भी मैं बता सकता हूँ...(व्यवधान)

श्री रणबीर सिंह (उत्तर प्रदेश): ओपन मार्केट में 400 रुपए में बिका है।

श्री बलराम जाखड़: मेरी बात सुनिए। जहाँ पैदा होता है मैं वहाँ-वहाँ की बात बताता हूँ।

श्री रणबीर सिंह: मेरे यहाँ तो पैदा होता है जाखड़जी।

श्री बलराम जाखड़: आप मेरी बात सुनिए। मैं बताता हूँ कहां की बात हो सकती है जहां गेहूँ पैदा नहीं होता, कम होता है, वहां है। लेकिन जहां पैदा होता है अगर वहां होता तो क्यों हम गवर्नमेंट को कहें कि तुम खरीदो। हमने खुला छोड़ रखा है। जहां मज्जी है बेचो उसको। उस पर बंदिश नहीं लगायी है। आज सत्रे भास्वर्ष के हिसाब से मैंने खोल दिया है। जहां मज्जी है आप बेचें। उत्तर भारत से लेकर बंगाल में ले जाएं, आप तमिलनाडु में ले जाएं, आप जहां मज्जी है उसको ले जाएं, कोई आपको रोक नहीं है, किसी तरह की रोक नहीं है...(व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल): नो क्लैरीफिकेशंस।

रणबीर सिंह जी बैठ जाइए...(व्यवधान)

आप उसको जवाब खत्म करने दीजिए। चार बजे दूसरा सत्रिजिनेस है। वह भी आपकी परमिशन से 5-10 मिनट खिसकाना पड़ेगा। इसलिए वे खत्म कर लें। फिर हाउस होगा तो 5-7 मिनट में क्लैरीफिकेशन पूछ लें।

श्री बलराम जाखड़: मैं आपको बता देना चाहता हूँ...(व्यवधान)

DR. RANBIR SINGH: I can give you an example. (Interruptions)

SHRI JIBON ROY: Sir, I want to ask one clarification.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): Let him finish his reply.

श्री बलराम जाखड़: मैं यह बताना चाहता हूँ कि इसमें जो कुछ आप काम कहते हैं, इसमें जो और डालना हो वह मुझे बता दें मैं डाल दूंगा। हमने ह्यूमन लेबर डाल दिया इसमें। कैजुअल एण्ड फेमिली लेबर

or bullock labour, hired and owned, machine labour, hired and owned, material inputs, seed, fertilizer, manure, insecticides, irrigation charges, interest on working capital, miscellaneous artisans etc., rental value of owned land, rent paid for lease in land, land revenue, cesses and taxes, depreciation on implements and farm buildings, interest on fixed capitals, managerial inputs; अब इसके बाद भी कोई चीज़ बाकी रह जाती है तो वह मुझे बता दीजिए, मैं इसमें डाल दूंगा उसको भी उस अनुपात में हम डाल देंगे। (Interruptions)... That has already been done. That is extra. That has taken into consideration. You see what we have done. Cost of production, changes in input prices, input and output price parity, trends in market prices, demand and supply situation, inter-crop price parity, effect on industrial cost structure, effect of general price level, effect on cost of living, international market price situation, parity between prices paid and prices received by farmers, all these things are taken into consideration. अगर फिर भी कोई कमी रहती है तो वह मुझे बता दीजिएगा वह भी मैं इसमें डाल दूंगा। इसमें कोई बंदिश नहीं है। एक मिनट की भी देरी नहीं होगी। मैं कर देना चाहता हूँ। दूसरी बात जहाँ तक है मैंने वह देखा है। पानी का बंदोबस्त जहाँ तक था और अपने सायल इरीगेशन की जहाँ तक बात कही, इरीगेशन फैसिलिटीज़ की बात जहाँ तक की, मैं उसी के लिए करना चाहता हूँ, क्योंकि हम कब तक वर्षा पर आचारित रहेंगे। इसलिए ट्रिप इरीगेशन थिंकलिंग का प्रचार कर रहा हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितने इंक्लीट हमारे प्रोजेक्ट्स हैं इनको पहले कंप्लीट किया जाए माइनर इरीगेशन से और जो हमारा वाटरशैड प्रोग्राम है, वाटर कंज़र्वेशन प्रोग्राम, सब सायल री-चाजिंग का प्रोग्राम है उसके लिए ज्यादा पैसा हो। सोमपाल जी ने जैसे कहा था आधा पैसा 15 हजार करोड़ में दे दो तो भगवान की कृपा हो जाए। अगर आप सब की कृपा हो जाए, मैं चाहता हूँ कि पृथ्वी पर अगर हम पानी का बंदोबस्त कर लें तो देश का सारा का सारा हमेशा के लिए कल्याण हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं आ सकती।

डा० मुरली मनोहर जोशी (उत्तर प्रदेश): 10 मिलियन हेक्टेयर इरीगेशन पोटेंशल अनयूटिलाइज्ड पड़ा है। पिछले पांच साल से लगातार पड़ा है और मैं हर

बार बजट स्पीच में कहता हूँ, लेकिन आप उसका उपयोग नहीं करेंगे।

श्री बलराम जाखड़: मैं यही कह रहा हूँ ....(व्यवधान)

SHRI V. NARAYANSAMY (PONDICHERRY): Forty per cent of the water goes to the sea.

श्री बलराम जाखड़: मैं कई जगह बताना चाहता हूँ। पता नहीं मुझे कितना टाईम देंगे। अगर टाईम दें तो मैं सारा चिट्ठा पढ़ कर सुना दूँ कि मैं करना चाहता हूँ। मेरे पास इतना पड़ा है। जहाँ डैम बना हुआ है वहाँ नहर नहीं है। नहर बन गई वहाँ डैम नहीं है। ....(व्यवधान) एक मिनट सुनिए। मैं सारी बातें करना चाहता हूँ। ....(व्यवधान) प्लीज़, मैं इस चीज़ को करना चाहता हूँ कि जितना ज्यादा से ज्यादा इरीगेशन का सिंचाई का प्रबंध हो सकता है वही हमारा कल्याण देश के लिए कर सकता है। सिर्फ हमारे लिए ही नहीं आने वाली पीढ़ी के लिए भी कर सकता है। पानी एक ऐसी चीज़ है जो कि मूल्यवान होती चली जायेगी। सोने से भी कीमती पानी हो जायेगा। आने वाले जमाने में पानी नहीं रहेगा। कल जैसे आँकड़े दिए थे कि हम तो 24 लिटर पानी इस्तेमाल करते नहीं हैं यहाँ 270 होता है। तो सारी बातें किसान के लिए रोड़ज़ का प्रबन्ध ट्रांसपोर्ट का प्रबन्ध होना चाहिए। अभी आप कह रहे थे, मेरे भाई जायसवाल जी शायद कह रहे थे कि वहाँ एपल पैदा होता है और एपल वाले को ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती, स्टोरेज नहीं मिलता। यही तो चक्कर है। इसीलिए तो मैंने 24 करोड़ से 1000 करोड़ रुपये हार्टिकल्चर के लिए रखा है। मैं अनाज की खेती कम नहीं करना चाहता। मैं इसको आधारभूत बना कर चलता हूँ। दूसरों के कंधों पर नहीं छोड़ना चाहता। ....(व्यवधान)

श्री मूलचन्द मीणा (राजस्थान): जाखड़ साहब, आप सिंचाई की बात कर रहे हैं राजस्थान जैसे प्रदेश में पीने को पानी नहीं है, सिंचाई की बात तो दूसरी है। क्या आप पाताल तोड़ कुओं की व्यवस्था करेंगे?

श्री बलराम जाखड़: मीणा जी, मुझे राजस्थान का बहुत ज्यादा ख्याल है। ....(व्यवधान) मुझे पता है। नीचे तोड़ माया फोड़ कहीं नहीं है। पानी नीचे से नहीं आता है। पानी नीचे संचित है जो ऊपर से सीपेज होता-होता सैकड़ों वर्षों से संचित हुआ है और उसको हम रिलीनिश नहीं करते। सौ रुपया है और उसको अगर हम सौ को निकाल देंगे तो क्या होगा, जब आमदनी नहीं होगी यह कुओं का पानी है उसको रीचार्ज करने के

लिए, जैसे मीणा जी कह रहे हैं तो उसको हमें रीजार्च करना पड़ेगा। वाटरशैड प्रोग्राम बनाने हैं। मेरे पास 1100 करोड़ है। बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। हाई हजार के करीब सिलसिला चल रहा है। लेकिन छत्ते से मैं सन्तुष्ट नहीं हूँ। मैं कर्नाटक गया। वहाँ जा करके बात करके आया हूँ। डीसिल्टिंग की बात करनी है। कैनाल डीसिल्टिंग की है, एनवायरनमेंट की है। जहाँ हमारे बड़े-बड़े हैम हैं उनके मुतालिक अगर हम एनवायरनमेंट का प्रोग्राम करके सायल इरोज़न का नहीं करेंगे, क्योंकि कितना सायल इरोज़न हो रहा है। इन सारी बातों के लिए पैसा चाहिए। मैं तो वह गंगा-यमुना को अपना कबेरी से जोड़ना चाहता हूँ लेकिन उसके लिए लाखों-करोड़ों रुपये चाहिए। कितना होगा, कहां से आयेगा, इसको भी तो आपने तय करना है। इसलिए ये सारी बातें हैं।

इन्होंने व्यापारिक बनाने के लिए कहा। वह बात करें, लेकिन मैं उसको व्यापारिक नहीं बनाना चाहता, मैं व्यापारिक सुविधाएं देना चाहता हूँ, जो इंडस्ट्री को सुविधाएं हैं। मैं अगर आपको जरा पढ़ कर सुनाऊँ, अगर मेरे पास टाइम हो तो मैं जरा पढ़ दूँ.....(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह (बिहार): पढ़िए-पढ़िए।

श्री बलराम जाखड़: सुनिए, मैं अभी बताता हूँ।

4.00 P.M.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): Mr. Minister, just a minute. There is a Short-Duration Discussion at 4.00 p.m. Have I the permission of the House that the Minister should be allowed to conclude his reply?

SOME HON. MEMBERS: Yes, Sir.

DR. BIPLAB DASGUPTA: Sir, what about clarifications?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): You will get a chance. Now, I have the permission. Mr. Minister, you may continue.

श्री मुरली मनोहर जोशी: महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि मंत्री महोदय कितना समय लेंगे क्योंकि यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है?

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल): जल्दी समाप्त करेंगे।

श्री दिग्विजय सिंह: महोदय, देश के 80 फीसदी

लोग कृषि पर निर्भर हैं, इसलिए मंत्रीजी को पर्याप्त समय दिया जाए और हमें उन्हें सुनने का पूरा हक है। हम ने जो बातें कहीं हैं, उन के संबंध में हम मंत्री महोदय को सुनना चाहते हैं।

श्री मुरली मनोहर जोशी: आप 80 प्रतिशत की बात करते हैं, मैं शत-प्रतिशत की बात करना चाहता हूँ।

श्री बलराम जाखड़: हमें भी उसी गिनती में गिन लीजिए, जोशी जी।

It is regarding industry, the benefits that industry enjoys. I want to create that atmosphere so that we can invite the small farmers. They can do that. We have to take the land for other purposes. उनके लिए वही एग्री-बेस्ड इंडस्ट्री बनाना चाहता हूँ।

The Agriculture Policy Resolution indicates that the Government:

“Will endeavour to create a positive trade and investment climate for agriculture at par with industry.”

I have done it at par with industry, not as exists in industry.

It further says:

“The objectives of the Government Policy will be to develop effective systems and bestow similar benefits to agriculture as exist in industry. However care will be taken to ensure that agriculturists are not subjugated to the regulatory and tax collection machinery of the Government.

मैं यह क्यों कहना चाहता हूँ? मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि टैक्स लगवाओं। हम टैक्स किस पर लगाएँ? आप हमारे कपड़े खींच लो, चाहे हमारी चमड़ी उधेड़ दो, हम ने 12 एकड़, 15 एकड़, 17 एकड़ जमीन कर दी और उसके बाद तीन पीढ़ियाँ जा गयीं। उस में हमारी प्रेगमेंटेशन तो हो गयी। मैंने प्रेगमेंटेशन का जिक्र इसलिए किया कि मैं चाहता हूँ कि चाहे वह को-ऑपरेटिव में करें, चाहे भाईचारे से मिलकर खेती करें, मैं उन को 30 हजार रुपए टेक्टर के लिए सब्सिडी देना चाहता हूँ/ तुम छोटा टेक्टर ले लो। 12-13 हजार पावर टिलर के लिए देना चाहता हूँ कि तुम यह ले लो।

The Agricultural Policy Resolution further indicates that:

Farmers will be exempted from payment of capital gains tax on compulsory acquisition of agricultural land within prescribed municipal limits.

मैंने यह आप से इसलिए कहा था कि जमीन किसान नहीं बेचना चाहता, चाहे किसी के पास 2 एकड़ हो या 5 एकड़ हो और अगर आप बनाना चाहते हैं तो जबरदस्ती जमीन लेते हैं। उस के बाद आप कहते हैं कि कैपिटल गेन टैक्स दे दो। अरे भाई, जो मेरी जन्मदात्री है, मैं उसे नहीं बेच सकता। तुम जबरदस्ती लेते हो और फिर कहते हो कि टैक्स दे दो। तो उस का टैक्स माफी किया है।

It says the above is in continuation of Government's effort to bring in a change in terms of trade in agriculture *vis-a-vis* industry and to encourage increase in capital formation in this sector as statistics have indicated that there has been a decrease in investment in agriculture.

जैसाकि आप सब ने कहा, मुझे इसका ज्ञान है। किसान पैदा करेगा तभी उस का इनवेस्टमेंट होगा। यह बाहर वाले कम लगाते हैं।

Now, I have made a provision of Rs. 35,000 crores, in the new set-up which is coming up for mushrooms, fisheries, dairies and all these things.

The objectives of the Agriculture Policy Resolution are:

Increased production and productivity to ensure food security for the rising population. Developing areas of untapped potential and thereby correcting emerging imbalances in growth in eastern, hilly, rainfed and flood-prone regions.

क्योंकि इन्फ्लेन्स ठीक हो तो चलेगा। उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश और राज्य हैं, हम उन को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं।

My friends from West Bengal must realise what our farmers have achieved as far as seeds are concerned.

आप ने वर्ल्ड रेड ऑर्गनाइजेशन की बात की।

Our farmers will be free to use their own seeds. We shall be controlling the hybrid seeds because we are capable of doing it. I will not restrict the scientists to do research work. हम उन को कंटाई नहीं आने देंगे। मैं नया कानून बना रहा हूँ। उन को काबू कर के रखेंगे और नाक में नकेल डालकर रखेंगे।

The third objective of the Agriculture Policy Resolution is:

Meeting the challenges that arise due to degradation of land and water resources, diminishing size of land holdings and address itself to the problems of under-employment, unemployment and malnutrition in rural areas, etc.

इन को हमें खत्म करना है। उन के बच्चों को, जो गरीब आदमी हैं, जिनका कि कुछ नहीं है, उन का ध्यान करना है। हरेक आदमी को उस के लेबर का हिस्सा डटकर मिलना चाहिए। उस का उत्थान जब तक नहीं होता...

Value addition to agricultural products through increasing the production, processing, marketing and storage facilities.

मोरज फेसिलिटीज की बात कर रहे हैं। उसका मैं करवा रहा हूँ। मैं आपको ज्ञात करना चाहता हूँ, जोशी जी, कि आपके महाराष्ट्र में उधर इस समय कम से कम मेरे ख्याल से 200 के करीब कूलिंग स्टेशन लगाए हैं और किसानों के घर में लगाए हैं। छोटे-छोटे किसान हैं, एक एकड़ जमीन है या किसी के पास दो एकड़ है, वह उनका काम करवाते हैं। कोपरेटिव बेसिस पर लगवा कर दिया है, जिससे कि आगे माल चले, लेकिन अभी मुझे जरूरत है, एअर फोर्स पर, सब जगह करने के लिए। छोटा-छोटा करेंगे तभी बात बनेगी। एक साथ छलांग लगाकर आसमान तक नहीं पहुंचा जा सकता।

Providing a smooth flow of credit...

जबसे लोन वेवर स्कीम का हुआ था, उसमें 6000 करोड़ रह गया था। इस साल 20,000 करोड़ रुपए पर ले आए हैं। मैं इसको अगले साल, इस साल में आने वाले में 25000 करोड़ पर ले जाना चाहता हूँ, जिससे किसान को पैसा मिल सके। रिजर्व बैंक से मेरे पास पत्र आ गया है। यह मेरे पास पड़ा है। मैं पढ़कर सुना दूंगा। इसमें 25000 तक 12 परसेंट पर देंगे, 2,00,000/- रुपए तक 13.5 परसेंट पर देंगे और 2,00,000/- से भी ऊपर देंगे तो उसी हिसाब से दे

देगे। तो यह सारा मैंने इसमें करवाया है।

"Evolve technologies that suit modern day-to-day requirements and to dovetail agricultural research systems to deal with those requirements...."

We tell them how to use the modern methods, implements, etc. We tell them how to produce seeds, how to use seeds, how to reproduce seeds, etc.

मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने सबसे पहले हाइब्रिड पैदा किया कॉटन का। उपाध्याय महोदय, हमने इस दफ्त यइस का हाइब्रिड दो साल से पैदा किया है। इस साल बहुत बड़ा एरिया हाइब्रिड के नीचे आ रहा है और अगर यह 15 लाख हेक्टेयर भी हाइब्रिड दो तीन साल में कर लेते हैं तो एक टन से लेकर डेढ़ टन तक ज्यादा पैदा होगा, 14-15 लाख टन सिर्फ उसी में आगे बढ़ जाएगा। यह, सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ।

Augment the incomes of farmers in the rural sector so as to provide a better quality of life, etc.

The benefit of these endeavours will be in terms of improving the quality of life of farmers by providing more incomes, better facilities and by directing these efforts to that 70% of the population that lives on agriculture in the country and which has so far had no semblance of organised activity to put forward their grievances and demands. For example, industry is organised into product-specific and area-specific organisations and organisations that deal with the general problems, i.e., FICCI, ASSOCHAM, CII and the State Chamber of Commerce and Industry.

Government of India in 1991 brought out a statement on Industrial Policy wherein the Government laid down its new approach towards industrialisation. The States brought out their own respective Industrial Policy statements. The statement of any State Government indicates that most Governments are willing to give the following benefits to the entrepreneurs:—

(1) Incentives in terms of investment

subsidies:

These can range anywhere between Rs. 10 lakhs to Rs. 25 lakhs and are being given as outright grants to industry on a percentage ratio of the fixed capital investment subject to a limit prescribed by the State Government. There are also sales tax incentives in terms of deferment of sales tax, tax holidays or total sales tax exemption for various categories of industry. Further, incentives are also provided for setting up units in backward areas or by entrepreneurs belonging to special categories. Besides, many States also provide interest subsidy to units. For example, in Andhra Pradesh, the term loan component and the working capital component are eligible for reimbursement of interest subsidy at the rate of 6% for a period of five years. This would mean that an entrepreneur who would be receiving a loan from any financial institution would be paying a lower interest on the capital raised by him, i.e., 12%. Besides these, there are sales tax exemption, total tax holidays, rebates on water and power consumption, etc.

(2) Infrastructural facilities for industrial sector:

One of the most important concepts that we would want to bring in is the concept of infrastructure development facilities for agro-based industries and for agro-processing industries. For example, every State builds industrial estates wherein it provides sheds at concessional rates to entrepreneurs. These industrial estates are usually looked after by senior level officers who have a single-window approach to the entrepreneurs within that industrial estate. That means, the State provides the infrastructure in terms of manpower to look into the



problems of water, electricity, raw materials, credit, etc., of each entrepreneur so that he does not go from pillar to post organising these basic things for himself. For development of this infrastructural facility, the Central Government has been loaning large amounts of money to the State Governments under the Area Development Concept.

(3) Lack of facilities for agricultural sector:

Agriculturists do not have any such facilities provided for them. They have to look after their own requirements of credit, inputs, i.e., fertiliser and seeds, marketing, transportation, etc. Even their bankable schemes are rejected by the banks in the areas as financial institutions do not come forward to finance agricultural activity in toto. In fact, the Naik Committee on Small Scale Sector had indicated that it is desirable to have NABARD going in for direct financing outlets to help provide credit to this sector which was starved of funds as most rural banks were non-functional and the Apex Cooperative Banks were sick at the State level.

State also have specialised agencies to deal with sick private sector units and a detailed machinery is available for rehabilitation of sick industrial units with a State machinery hauling up the banks at every stage. Large industries get the benefit of being rehabilitated through the Bureau of Industrial and Finance Reconstruction (BIFR). No such facilities are available to any entrepreneur in the agricultural sector. In India industries get sick, banks get sick but industrialists do not get sick at all.

Industrial sector has the advantage of specialised lending institutions such as the ICICI, IDBI, IFCI, SIDBI as also the State Industrial Finance Corporations. In

the agricultural sector, only NABARD is performing this role but NABARD also provides only refinance facilities to banks.

The lending arrangements also present anomalies between the two sectors in as much as land cost constitutes a part of the contribution of entrepreneurs whereas in agricultural activities the cost of land is not taken into account. The fixtures used in agriculture operations, such as drip systems, sprinklers, etc. are not accepted as security by financial institutions, who always insist on other collateral securities. Marketing finance facilities are also completely absent in agriculture sector, thus, contributing largely to the large gaps in market linkages in the agriculture sector, not to mention bridge loans and venture capital.

As a result of these disadvantages, only about 17% of total bank credit goes to agricultural sector which contributes nearly 1/3rd of total national income whereas while 36% of credit goes to manufacturing sector whose share in the national income is less than 20% and these statistics are a decade old.

Every State Government lays special emphasis on developing the small scale and tiny sectors. The very quality of our agriculturalists is such that they qualify to be considered as being in the tiny sector. For the tiny sector, every State Government provides a detailed infrastructure for monitoring their development and for helping them with credit, raw materials, marketing, etc. In fact, some State Governments have been prescribed purchase policies by which purchase of many items of the State Government is done only through the Directorate of Export Promotion and Marketing at rate contract fixed with the SSI units by Government agencies.

आप जरा धीरे-धीरे बोलें तो हमें कुछ समझ में आएगा या तो आप टेबल पर रख दीजिए, हम लोग बाद में पढ़ लेंगे।

SHRI BALRAM JAKHAR: Besides the above, special Export Processing

Zones (EPZs) have been set up for boosting industrial exports. These EPZs have been created with financial assistance from the Centre. If agricultural exports are to be the main thrust of activity as can be seen from an analysis of agriculture exports, it is necessary to build up Export processing Zones for agricultural products as these have already doubled over the last two years.

So, what is being attempted is a complete reorientation of the economy in the present atmosphere of liberalisation. As developed countries move away from agriculture to other activities, the role of our country emerging as the feeding bowl to the developed world has to be thought out. In that context, the first step has been the establishment of Small Farmers Agro Business Consortium as a catalytic agency to bring about this change and it is hoped that every step will be taken to help the common farmer who has done us so proud today.

So, that is what I wanted to say कि मेरा अंदाजा, मेरा निशाना छोटे किसान को लेकर के, उसके गांव में से न निकालकर, यहां गंद में रखने के बजाए, उसको वहीं पर इन्फ्रास्ट्रक्चर मुहैया करके, उसकी कोऑपरेटिव बनाकर के, उसको साथी बनाकर के ताकि वह अपना काम कर सके, गांव में अपनी छोटी इंडस्ट्री प्रोसेसिंग करे लगा सके, उसको आगे करके भेज सके, यह सारा मैंने इसमें डाला है और इसी हिसाब से मैं चाहता हूं कि देश का उत्थान किसान के उत्थान के साथ हो और यहां जो 70 प्रतिशत किसान रहता है, उसको भी राहत की सांस मिले।

बात वह करो जो सबको भली लगती हो,  
कुछेक को बुरा लगता हो तो लगने दो  
अपने रस्ते पे पड़ी तौंद हटा लो साहब,  
ओरे, फकामस्तों को भी राहत की हवा लगने दो

कुछ तो हवा लगने दो हमें भी, यह हम कहना चाहते हैं।

इसके साथ कुछ ज्यादा न कहते हुए आपको कहता हूं कि भगवन, मैं चाहता हूं कि सदन जितनी भी चीजें

चाहे, वह मुझे बता दीजिए, मैं इसमें डालने के लिए तैयार हूं, मेरा कोई रिजर्वेशन इसमें नहीं है। मैं आपका साथी हूं, आपका दास हूं, आपके लिए काम करने के लिए आया हूं।

**उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल):** धन्यवाद मंत्री जी। Now, some hon. Members have sent their requisitions for seeking certain clarifications. I would only request you that you should be as brief as possible because we have another important item.

**DR. BIPLAB DASGUPTA:** Sir, I am very sorry that when our Minister was giving his reply, a certain amount of heat was generated and that was largely because—maybe I may be right, I may be wrong—his claim that he is representing the entire peasantry and its interest, I found, somewhat pompous. But, then I thought that, maybe because I provoked him, at least during the reply he would say something about the land reforms. Perhaps he was more provoked by the comments of others and that is why he was totally unprovoked by what I said and did not even utter a single word about land reforms. The point I am making is this that there are two possible strategies. One strategy is that which is symbolised by Punjab where there is no concern for land reforms and where the landlessness is mounting and where the proportion of land concentrated in the hands of the richer farmers has gone up. All these things have been corroborated by the agricultural census repeatedly. The agricultural census has also revealed that the land owners in Punjab are leasing out their land to the richer people. After leasing out their land to the richer people these people go to the towns for working. It is becoming difficult for the poorer sections of the peasantry to survive in these conditions of liberalisation and all that. Then, you take the case of West Bengal where we have carried out land reforms. Yes, you will be surprised to know that we have carried out land reforms in West Bengal. We have carried out the land reforms

very successfully. As a result of that the average rate of growth of agriculture over the last twelve years is more than that of Punjab.

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL):** I permitted you to seek clarifications and not to put forward the case of West Bengal.

**DR. BIPLAB DASGUPTA:** Sir, what I am saying is that the rate of growth of agriculture in West Bengal over the last 12 years is 6.4% whereas it is around 4% for Punjab. It shows that the strategy adopted by the West Bengal Government has succeeded because it relied on land reforms. The kind of strategy which Punjab is using can only be used in a small part of the country, not in the entire area, because it is capital-intensive. I want to know why the land reforms have been neglected. Before 1991, if you go through the Plan document, the Government announcements, there was a great rhetoric about land reforms. A number of studies show how these ceiling laws are not working. Despite these ceiling laws land is concentrated in a few hands in many States. There have been so many studies also. Since 1991—not that I am saying that before 1991 there was implementation—there was rhetoric about land reforms. But, now, neither there is rhetoric nor implementation of land reforms. The Government is completely silent on the question of land reforms. Does it mean that the Government thinks that the task of land reforms has been completed and there is nothing more to do about it? I want to add one more point. If you want to industrialise India, you need a vigorous, vibrant, dynamic agriculture. You cannot have a vigorous, vibrant, dynamic agriculture without land reforms. That is the lesson which the developed countries have learnt. Not only the developed countries of Europe, but also the Asian countries like Japan, Taiwan, Korea, etc., all of them have brought about land reforms.

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRI**

**SATISH AGRAWAL):** Mr. Dasgupta, no canvassing is required, you simply seek clarifications. Now, Shrimati Mira Das. ...*(Interruptions)*...

**DR. BIPLAB DASGUPTA:** I want to know whether the Minister is aware of all these things because not a single reference has been made to the land reforms. What is this?

**श्रीमती मीरा दास:** अगर देश में कोई प्रगति हो सकता है तो वह धू एग्रीकल्चर सम्भव है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट दूर करना चाहते हैं तो वह भी इसी से संभव होगा। जैसा कि सोमपाल जी ने कहा कि 15 हजार करोड़ रुपया आपको दे दिया जाए। मैं मानती हूँ कि इससे कुछ हो सकता है। लेकिन यह नहीं होगा, क्योंकि आपके पास यह रुपया जाने वाला नहीं कि आप भी सिंचाई का काम करने वाले नहीं हैं। तो यह सब हो सकता था। लेकिन समय बहुत कम है क्योंकि आपने इसको पांच साल पहले शुरू नहीं किया? कर सकते थे। किसने मना किया आपको?

**श्री दिग्विजय सिंह:** अच्छा काम देर से शुरू होता है।

**श्रीमती मीरा दास:** देर से करने में ही तो समय नहीं है। सपना तो है लेकिन रत कहाँ है? रत तो कम हो गई। कैसे आप करेंगे? एक भी नहीं कर पाएंगे। मैं मानती हूँ कि बहुत बढ़िया काम है, बहुत अच्छा आपने बोला है, आप कर सकते थे लेकिन समय नहीं है।

**डॉ० मुरली मनोहर जोशी:** उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि बहुत समय हो रहा है....*(व्यवधान)*...

**AN HON. MEMBER:** Sir, I want one minute please. *(Interruption)*

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL):** You people ask for half-a-minute and take two minutes and make a lecture. It is not fair.

**श्रीमती कमला सिन्हा (बिहार):** उपसभाध्यक्ष जी, मैं बहुत संक्षेप में सवाल पूछूंगी। मंत्री जी, मैं कुछ क्लेरिफिकेशन सीक करना चाहती हूँ। इस देश के 90 फीसदी किसान गरीब किसान हैं। Either they are marginal farmers or small farmers. जिनके पास एग्रीकल्चर का कोई इन्फ्रस्ट्रक्चर ही नहीं है। तो मैं यह जानना चाहती हूँ कि आपने कागज़ से बहुत बातें हम लोगों को पढ़ कर सुनाई, मैं आपसे इतना ही जानना

चाहती हूँ कि यह जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आपने हमें कागज़ से पढ़कर सुनाया, गरीब, छोटे किसान, मार्जिनल किसान के लिए यह इन्फ्रास्ट्रक्चर खेती के सभी साधन पानी, बीज, खाद और ट्रैक्टर, ये कब तक और कैसे मुहैया करेंगे? आपने कहा कि हम कोऑपरेटिव बना कर करेंगे। हमने तो नहीं देखा कहीं बिहार और उत्तर प्रदेश में कि कहीं पर ऐसा कोऑपरेटिव बनाया हो या कहीं खेत में पानी भी पहुंचता है? मर जाता है किसान, पेशान हो जाता है तो ये काम आप कब से करेंगे?

दूसरी एक बात मैं और आपसे पूछना चाहती हूँ। अपने सोयाबीन के संबंध में कहा कि बहुत पौष्टिक चीज़ है। सोयाबीन बहुत महंगी चीज़ भी है। सोयाबीन की खेती अच्छी हो सकती है, सोयाबीन से दूध भी होता है और दही भी होता है और पनीर भी बनता है। क्या डाइवर्सिफाइड उत्पादन आप करेंगे, उसके लिए किसानों को कोई खास प्रोत्साहन देंगे, मुझे इतना ही जानना है।

SHRI V. P. DURAISAMY (Tamil Nadu): Vice-Chairman, Sir, in Tamil Nadu there was a natural calamity due to heavy rains. More than five districts were affected. The Agriculture Minister visited the affected areas. The Tamil Nadu Government requested the hon. Minister for Agriculture/Central Government to grant flood relief of more than Rs. 120 crores. The request has not been responded properly by the Central Government or the Agriculture Minister. If the Minister is so sympathetic towards farmers, why this step-motherly treatment towards Tamil Nadu? Will the Minister do something about it? Will he come forward to give more relief amount? this is my question.

श्री नरेश यादव: उपसभाध्यक्ष महोदय, बिहार में अकेले 90 परसेंट मखाना की खेती होती है और वह मखाना की खेती लंगोटी पहनने वाला किसान पैदा करता है जल के नीचे। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इसका हिक कहीं नहीं है लंगोटी पहनने वाले किसानों का जो दुनिया में मखाना मुहैया करते हैं।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ बहुत शॉर्ट में कि बैंकों से ऋण लेने का जो तरीका किसानों का है, बहुत ही लंबा प्रोसेस है। आप फोटो आइडेंटिटी कार्ड बना रहे हैं। फोटो आइडेंटिटी कार्ड ही किसानों का

प्रमाण-पत्र हो, उसी के सहारे ऋण मिले वरना बुवाई के बाद किसानों को ऋण मिलता है। धन्यवाद।

श्री दिग्विजय सिंह: उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक गुज़रिश मंत्री जी से करना चाहूंगा। (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): Shri Jibon Roy, have not you heard me speaking to somebody? (Interruption)

श्री दिग्विजय सिंह: किसान बेचारा मजबूरी में अनाज जैसे पैदा होता है बेच देता है। अगर आप सिर्फ एक काम कर दें तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा राहत का काम किसानों के लिए नहीं हो सकता है। जो छोटे किसान है, आप हर गांव में चार-पांच गांव मिला कर कोई प्रेनरी स्टोरेज सिस्टम कर दें और उसमें सिर्फ आप इतना ही करा दें कि जब अनाज पैदा होता है तो किसान उसमें रखे और बैंक से कोई ऐसी व्यवस्था करा दें आप कि वह आधा पैसा अपनी कमाई का ले सके और फिर उसको बेचने के इजाज़त हो। जब धान, गेहूँ, चावल महंगा होता है तब बेचने की इजाज़त हो और बैंक से पैसा वापस करा दिया जाए। अगर इसको मान लें तो मैं समझता हूँ कि वह बहुत बड़ी मेहरबानी होगी।

SHRI R. MARGABANDU (Tamil Nadu): Now-a-days agriculture labour has become very expensive. Nobody is coming forward to do the agricultural labour. As a result of this, many land owners are not able to cultivate their land. I would like to know whether the Government has any proposal to introduce scientific methods in agriculture for cultivation, harvesting and other things.

डा० रणबीर सिंह: वैसे तो हमारे माननीय कृषि मंत्री जी उद्यान पंडित भी हैं और कृषि पंडित भी हैं, यह मैं जानता हूँ। लेकिन जैसे फूड ग्रेस की बात कही कि किसान तमिलनाडु ले जाए तो क्या छोटे किसान तमिलनाडु या इन हरियाणा ले जाने की स्थिति में भी हैं? ऐकुली क्या हो रहा है कि बिज़िनसमैन किसान का ट्रैक्टर या ट्रॉली किराए पर लेकर बिज़िनस कर रहा है और भारी मुनाफ़ा कमा रहा है। किसान को एक पैसा नहीं मिल रहा। दूसरे, सोड की बात है। यह जो स्टेट की सोड कॉरपोरेशन है, यह किसान को चीट कर रहे हैं। भारी सब्सिडी इनको मिल रही है, इन्टरस्ट फ्री

लोन बैंक से मिल रहा है और यह किसान से 4 रुपये किलो के हिसाब से खरीदते हैं और किसान को सब्सिडी दो रुपये ऐडजस्ट करने के बाद 6 रुपये किलो बेचते हैं। गुजरात के अंदर 5-6 डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसे किसान हैं जो सैचुरी से खेती कर रहे हैं पर जमीन आज तक उनके पास ट्रांसफर नहीं हो सकी। फारेस्ट डिपार्टमेंट के पास जमीन है। तो किसान क्या करेगा, अगर वह जमीन का मालिक भी नहीं रहेगा? अभी मंत्री जी ने कहा कि मैं कहां छलांग लगाऊं? मेरी शिफारिश है कि छलांग लगानी देर से शुरू की है। किसान का पैसा मिल की तरफ जाता है, उसके ऊपर कोई इंटेरेस्ट नहीं होता और किसान को खाद पर भी इंटेरेस्ट देना पड़ता। जो खाद वह खरीदता है, उस पर भी उसको इंटेरेस्ट देना पड़ता है। वैकवमपैन की बात मैंने कही कि छोटे क्रेशरों को, उससे देश के अंदर चीनी का उत्पादन भी बढ़ेगा और किसान को मर्चिन भी ज्यादा पड़ेगा। एक बात मैंने कही थी, इनाडिसक्रिप्तिवेटेड स्लॉटरिंग ऑफ ऐनीमल्स। जानवर घटते जा रहे हैं और खेती के साधन भी खत्म हो जाएंगे। दूसरी बात इन्डिजिनस ऐनीमल्स की थी।.... (व्यवधान)

**उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल):** रणबीर सिंह जी, स्पष्टीकरण में आप सारा भाषण रिपीट नहीं कर सकते हैं।

**SHRI SANGH PRIYE GAUTAM** (Uttar Pradesh): I have only two questions to ask. Sir, the hon. Minister has said that most of the Rural Banks are non-functional. I would like to know whether the Government is going to make them functional or it is going to close them down; and whether the actual tiller of the land will be tiller of the land or not.

**श्री शिव चरण सिंह (उजस्थान):** महोदय, आपने कुछ किसानों के लिए बात कही, मैं स्वागत करता हूँ। आपने माना है कि सीलिंग लॉ से जमीन पर प्रेशर बढ़ने से होर्डिंग घट गया है। शहरों में ओल्ड एज पेंशन का प्रोवीजन है, विडो पेंशन का प्रोवीजन है। अभी प्रधान मंत्री जी की नयी योजना आयी है, उसमें भी शहरी लोगों को राहत मिल जाएगी लेकिन देहात का जो किसान है, जिसके पास अगर एक बीघा भी जमीन है, उन्हें यह ऐडवांटेज प्राप्त नहीं है। क्या ऐसे लोगों की एक क्लास डिक्लेयर करेंगे, दो बीघा की, चार बीघा की होर्डिंग वाले, जिन्हें इस प्रकार का लाभ मिले और क्या ऐसी

योजना आप लाएंगे आम किसान को उससे महम नहीं होना पड़े।

**SHRI K. K. VEERAPPAN** (Tamil Nadu): Every year some States are affected by floods and some States are affected by drought. Sir, we have started investment in the sector. Why cannot we give first priority to agricultural sector, at least in the 9th Plan and to try to link... (Interruption)...

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL):** Please sit down.

**SHRI JIBON ROY** (West Bengal): Our per hectare production of rice has increased. But, according to the Economic Survey, in the last three or four years seven lakh hectare of rice producing land has been shifted to cash cropping. This is one thing. Another thing is, export of rice is increasing every year. Do you feel that it will not affect the foodgrain supply in the near future? My second point is whether the Ministry is going to prepare a comprehensive plan for the agricultural workers.

**श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश):** मेरा एक प्रश्न भी है और सुझाव भी है। माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा है कि जो आप कहेंगे हम समावेश कर लेंगे। आपने समर्थन मूल्य देने के लिए कुछ नियम बताये, कुछ शर्तें बताईं, उसका परिश्रम, बीज और खाद सब जोड़ लिया गया, यह सब प्रोडक्शन कास्ट हो गया। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या उसको मुनाफा देने की बात भी आप सोचेंगे?

**उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल):** सोचेंगे, इसमें है।

**श्री भूपेन्द्र सिंह मान:** पंजाब में ट्रैक्टर की जगह पर किसान जो एक छोटा सा टूल दूसरी जगह ले जा सकता है उसको बंद किया गया है। इसके ऊपर ट्रैक्टर इंडस्ट्री का दबाव है; ऐसा नजर आ रहा है कि उनके साथ कम्पीटीशन है। इसके लिए कुछ होना चाहिए।

**SHRI S. MUTHI MANI** (Tamil Nadu): Sir, I want to know from the hon. Minister whether because of the new agricultural policy, whether the Centre will assure that the subsidy given to the farmers particularly on fertilizers,

pesticides and free electricity and subsidy on rice given by the State would not be stopped. Let him assure the House that they would not be stopped.

**श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश):** मैं सबसे अलग सवाल करना चाहता हूँ। एक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है और दूसरी फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री है। जब कभी फर्टिलाइजर के लोग सामने जाते हैं उनके सामने यह सवाल किया जाता है कि यूरिया या उससे मिलीजुली खाद के अधिक उपयोग से जमीन खराब हो रही है तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? उनका यह कहना होता है कि यह एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का सवाल है हमारा सवाल नहीं है। इसके साथ जुड़ा हुआ सवाल यह है कि क्या आप इस प्रकार की खाद लाते हैं तो जानकारी मिली कि मद्रास में केवल एक ऐसा कारखाना अभी चालू किया है जिसमें मैन्यर जैसी खाद तैयार की जाती है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या आपके सामने यह समस्या है जैसा अखबारों में पढ़ने को मिलता है और जगह पढ़ने को मिलता है तो इस समस्या को रोकने के लिए आपके पास कोई इलाज है और अगर है तो क्या है?

**SHRI JAGESH DESAI:** When we want that coarse rice should be given to the public distribution system we are told that the production has gone down. So, what are you going to do for the production of coarse foodgrains?

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL):** Whatever questions you can reply now you can do; otherwise, you can give it in writing.

**श्री बलराम जाखड़:** लैंड सीलिंग के लिए उन्होंने कहा कि मैंने जिक्र नहीं किया। मैंने एग्रीकल्चर पालिसी के बारे में...

**उपसभाध्यक्ष (श्री संतीश अग्रवाल):** वह यहां नहीं हैं इसलिए उनके सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है।

**श्री बलराम जाखड़:** बहन जी बैठी हैं।

**उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल):** जो नहीं बैठे हैं उनका जवाब मत दीजिए। मेम्बर्स यहां क्लेरिफिकेशन पूछते हैं, सदन का टाइम लेते हैं और यहां से गायब हो जाते हैं। हम तो उनको टाइम बढ़ाकर समय देते हैं। इसलिए उनके सवालों का जवाब मत दीजिए।

**SHRI BALRAM JAKHAR:** Indian

agriculture is basically dependent on the endeavours of small and marginal farmers. Land reforms will be so pursued as to achieve greater production. This is a macro-definition and not a micro-definition.

इसका विस्तार उसी हिसाब से किया जाए जैसा हमें करना है। आपने कहा क्यों देरी कर दी अगर मैं यह कहूं कि गलती मेरी नहीं है अपाकी है तो? मैंने 1993 में पॉलिसी आपके सामने रखी थी आज पहली दफा तीन साल बाद आप उस पॉलिसी को डिसकस कर रहे हैं। कसूर किस का है? उलटा चोर कोतवाल को डाटता है। कहते हैं सारी रात रामायण पढ़ी और सुबह पूछते हैं सीता कहाँ है।

मखाना की बात की। आप चिंता मत करिये वह एग्रीकल्चर का हिस्सा है उसको ठीक करेंगे। स्टोरेज की बात है तो स्टोरेज के लिए हम करना चाहते हैं और इसके साथ-साथ हम पैसा भी दिलवायेंगे।

लांग स्टैंडिंग मेरी यह मांग रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको ठीक करूं। फूलो आप फूडग्रेन्स—एक जगह से दूसरी जगह अनाज ले जाने की बात रणबीर सिंह जी ने पूछी थी। उन्होंने यह कहा कि छोटा किसान क्या करेगा? उसमें इतना ही है कि किसान को ज्यादा फायदा मिल सके। अगर अनाज फालतू है तो अनाज बाहर चला जाएगा और दूसरी जगह ऊंचे भाव में बिक जाएगा। एक जैसा फूलो हो जाएगा तो आगे वालों को सस्ता मिल जाएगा। बिचौलिये की छुट्टी हो जाएगी। जब हम पहले बंद करते थे तो यहां तीन रुपये किलो बिकता था और वहां 12 रुपये किलो बिकता था। उनको फायदा हो जाएगा, हम को भी फायदा हो जाएगा। उनका फायदा हमारी फायदा है। सही बात है। दूसरा स्लाटरिंग की गई। स्लाटरिंग के बारे में हम सब से ज्यादा ध्यान रखते हैं। सोमपाल जी है नहीं, उन्होंने कल हमारा जो सूरतगढ़ में फार्म है उसके बारे में कहा था। उसमें हमारी गाय असली अपनी नस्ल की है। उन्हीं के लिए है। सिर्फ जो निकम्मी हो जाती है, उसको बेच जाता है। 70 पशु बेचे गये और 3500 आज भी हैं। हम अपनी नस्ल बनाना चाहते हैं, बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। हम अपनी नस्ल बढ़ाना चाहते हैं, घटाना नहीं चाहते हैं। जितनी भी हमारी ब्रीडिंग है जैसे काकरेज है ... (व्यवधान)

**डा० मुरली मनोहर जोशी:** आपकी बहुत सारी ब्रीडिंग गायब हो गई है ... (व्यवधान) जाखड़ साहब हमारा पशु धन घट रहा है। आज हिन्दुस्तान में 1000

आदमियों के पीछे तीन बकरियां रह गई हैं।  
... (व्यवधान)

श्री बलराम जाखड़: आप तो सज्जन आदमी हैं।

डा० मुरली मनोहर जोशी: सज्जन हूं इसीलिए कह रहा हूं कि आप पशु घन के आंकड़े दुरुस्त कर लीजिये।

श्री बलराम जाखड़: मैं भी आपको आंकड़े दूंगा।  
... (व्यवधान)

डा० मुरली मनोहर जोशी: आप इसको स्वीकार कर लीजिये कि हिन्दुस्तान का पशु घन घट रहा है। मैं आपको चुनौती देता हूं, इस पर बहस हो जाए। गाय घट रही है, बैल घट रहे हैं, भैंस घट रही हैं, बकरियां घट रही हैं ... (व्यवधान) इस पर बहस हो जाए।

श्री बलराम जाखड़: ऐसा नहीं करने देंगे। जहां तक बैंक्स का ताल्लुक है, उसको हम तबाह नहीं होने देना चाहते। आप अंदाज़ा कर लीजिये जहां 6000 करोड़ से 20000 करोड़ ले आए हैं उसके लिए इस साल भी दो सौ करोड़ रखा है उनको दे कर फिर पुनः स्थापित किया जाएगा, रिवाइटलाइज़ किया जाएगा। बाकी पेंशन की स्कीम है, वह पहले भी सब पर लागू है। हर एक पर लागू है। जो पुरानी स्टेट की स्कीम है।  
... (व्यवधान)

श्री शिवचरण सिंह: जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, अन्डम्पलायमेंट स्कीम है, सब पर लागू नहीं है  
... (व्यवधान)

श्री बलराम जाखड़: यह भी सब पर लागू होगी, इरिस्पेक्टिव आफ ऐनीथिंग। ... (व्यवधान) मैं आपको ठीक करवा दूंगा, अगर गलत होगी तो बतल दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है आप और हम दोनों बैठ कर लेंगे। वही आपने उठाना है और वही मैंने बैठना है।

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल): देख लेंगे।

श्री बलराम जाखड़: शिफर्टिंग का आपने पूछा। This has nothing to do. The production has gone up, and why should we bind any farmers to do anything? He is not a slave. He is born free. I want him to remain free. He will grow what is more paying for him at that time. I would like that thing.

About food security to the country, it has to be sustained. It shall not be endangered, and it shall not be put to any barter. उन्होंने रेहड़ों की बात की। उसको देख

लेंगे। They did it because there were more accidents on the roads. फर्टिलाइज़र की बात है। हमें चिंता है, इस बात कि नहीं कि हम ज्यादा कर रहे हैं। दुनिया के मुकाबले में अभी हम कुछ भी नहीं हैं। हमारे कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां 6 किलोग्राम इस्तेमाल करते हैं लेकिन हमारा एवरेज 70 किलोग्राम के करीब है। ऐसी कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। चिंता इस बात की है कि इम्बेलेस न हो जाए। उसकी मुझे चिंता रहती है। मैं उसकी देखभाल भी कर रहा हूं। उसके साथ बायो फर्टिलाइज़र्स, दूसरा ग्रीन मैन्यूरिंग, फार्म-यार्ड मेन्नूर, मैं सारा कर रहा हूं। About bio-fertilizers, green-manuring, etc., I have taken care of this. As a farmer, I know what fertility of the soil means. I am going to protect it.

SHRI JIBON ROY: About agricultural workers...

SHRI BALRAM JAKHAR: The Labour Ministry is bringing in a legislation. Agriculture labour has gone up to 26 per cent. I am always trying to do justice to my labour because, without them, nothing will happen.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): Thank you very much, Mr. Minister. I thank the hon. Members who have co-operated with me. Now, we take up the Short Duration Discussion—Dr. Joshi.

DR. BIPLAB DASGUPTA: Sir...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGGARWAL): Mr. Biplab Dasgupta, I have ruled that Members who have sought clarifications and are absent in the House, they will not be replied to because courtesy demands that the Member who seeks clarifications remains present in the House. We have deferred the Short Duration Discussion from 4 o'clock to 4.40 p.m. just to accommodate the wishes of the Members.

Yes, Dr. Joshi.